

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जून 2022—ज्येष्ठ 13, शक 1944

## भाग 3 ( 1 )

### विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

### नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरी पुत्री का नाम माही कोष्टा MAHI KOSTA था. जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मेरी पुत्री का नाम माही कश्यप MAHI KASHYAP पिता जगन्नाथ कश्यप पता: 112, तिरूमाला ग्रीन, निपानिया इन्दौर (म.प्र.) के नाम से जाना, पहचाना जावेगा. एवं शासकीय, अशासकीय कार्यालय में अंकित करवाया जायेगा.

पुराना नाम  
(माही कोष्टा)  
(MAHI KOSTA)

नया नाम  
(माही कश्यप)  
(MAHI KASHYAP)  
(श्री जगन्नाथ कोष्टा)  
पता-112, तिरूमाला ग्रीन,  
निपानीया, इन्दौर, म. प्र.

(G-1022)

### नाम परिवर्तन

सूचित हो कि पूर्व में मेरा नाम दीपा अरोरा पिता जगदीशलाल अरोरा था तथा मेरा यही नाम पूर्व के समस्त दस्तावेजों में मेरा यही नाम दर्ज/अंकित है. वर्तमान में मेरा नाम दीपाली अरोरा पिता जगदीशलाल अरोरा हो गया है. अब मैं अपने इसी नाम से संबोधित व पहचानी जाती हूँ व भविष्य में भी अपने इसी नाम से जानी जाऊंगी. उक्त दोनों नाम मेरे ही होकर एक ही महिला के नाम है.

पुराना नाम  
(दीपा अरोरा)

नया नाम  
(दीपाली अरोरा)  
(पिता श्री जगदीशलाल अरोरा)  
पता-गोरानी कम्पाउंट के पास 15/20,  
साऊथ तुकोगंज, इन्दौर, म. प्र.

(G-1023)

### नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम पुष्पा कुरेकर, आयु 56 वर्ष था, विवाह पश्चात् मेरा नाम पुष्पा जामकर हो गया था लेकिन भविष्य में मुझे रोहिणी जामकर पत्नी श्री चंद्रकांत जामकर के नाम से जाना एवं पहचाना जावे, पता—मकान नं.—9, नटराज होम्स, इंडस टाउन, होशंगाबाद रोड, मिसरोद, भोपाल (म.प्र.).

पुराना नाम  
(पुष्पा जामकर)  
(PUSHPA JAMKAR)

नया नाम  
(रोहिणी जामकर)  
(ROHINI JAMKAR)

पता—मकान नं.—9, नटराज होम्स, इंडस टाउन,  
होशंगाबाद रोड, मिसरोद, भोपाल, म. प्र.

(G-1024)

### नाम परिवर्तन

मैं, मनोज कुमार ठाकुर आयु वयस्क आत्मज श्री हीरालाल के नाम से दस्तावेजों में अंकित था, अब मेरा नाम नया नाम मनोज कुमार लोधी पुत्र हीरालाल के नाम से जाना, पहचाना जावे. पता —मकान नंबर—7, कृष्णा नगर, कोच फेक्ट्री रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश.

पुराना नाम  
(मनोज कुमार ठाकुर)

नया नाम  
(मनोज कुमार लोधी)

(G-1025)

### नाम परिवर्तन

मैं, जनक राज सावलानी पुत्र श्री देवनदास, निवासी एच-24, क्यू. 29/30, साधु आटा चक्की के पास, बैरागढ़, भोपाल मो. नं. 8719029928 अपना नाम जनक राज सावलानी से बदलकर सुनील सावलानी (SUNIL SAWLANI) कर दिया है. अतः, मैं, सुनील सावलानी पुत्र देवनदास के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम  
(जनक राज सावलानी)

नया नाम  
(सुनील सावलानी)

(G-1026)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं नरेश लुमारे, पिता स्व. राजू लुमारे (आधार क्र. 664853533771), निवासी-म.न. 1162 मदर इंडिया कॉलोनी, ईदगाह हिल्स, हुजूर, भोपाल म.प्र. शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड पर मेरे पिता का नाम राजू लुमारे अंकित है तथा मेरे पिता जिन्होंने अपने जीवन काल में हमीदिया चिकित्सालय में कक्ष सेवक का कार्य किया है शासकीय सेवा की सर्विस बुक में मेरे पिता का नाम राजाराम व मेरा नाम नरेश अंकित है तथा मेरी म.प्र. बोर्ड की 5वीं (अनुक्रमांक 59346), 10वीं (नामांकन क्र. A 06-631049-012), 12वीं (नामांकन क्र. A06-631049-012) की अंकसूची में मेरे पिता का नाम राजू बलाई (आम बोलचाल का नाम/उर्फियत का नाम जो घर में बोला जाता था) अंकित हो गया है जो कि सही व सत्य है तथा उक्त तीनों नाम मेरे पिता के हैं तथा समाज व शासकीय सेवा में मुझे मेरे पिता के उक्त तीनों नामों (राजू लुमारे/राजाराम/राजू बलाई) से जाना व पहचाना जाता है।

अतः अब मैं अपने सभी वर्तमान (अंकसूची) व भविष्य में बनाने वाले समस्त दस्तावेजों में अपने पिता का नाम स्व. राजाराम लुमारे अंकित करवाना चाहता हूँ।

पुराना नाम  
(नरेश लुमारे)  
पिता श्री राजू लुमारे/राजाराम/राजू बलाई  
(G-1027)

नया नाम  
(नरेश लुमारे)  
पिता श्री स्व. राजाराम लुमारे

**नाम परिवर्तन**

पूर्व में मेरा नाम NANDAKUMAR K.S S/O SHANKARARU KRISHNARU निवासी-हाउस नंबर 25/2 बी, साईनाथ नगर, कोलार रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश था. अब परिवर्तित होकर मेरा नाम NANDKUMAR K.S. हो गया है।

अतः अब भविष्य में मुझे NANDKUMAR K.S. S/O SHANKARARU KRISHNARU के नाम से जाना पहचाना जावे।

पुराना नाम  
(NANDAKUMAR K.S.)  
(G-1028)

नया नाम  
(NANDKUMAR K.S.)

**नाम परिवर्तन**

मैं, मंजूलता सोनी पत्नि श्री बनवारीलाल सोनी, आयु 56 वर्ष, निवासी-ए/30, शाहपुरा हुजूर, त्रिलंगा, भोपाल, म.प्र. के नाम से जानी, पहचानी जाती हूँ एवं मेरा नाम मंजूलता सोनी लिखने लगी हूँ. पूर्व में मुझे मंजू सोनी पत्नि श्री बनवारीलाल सोनी के नाम से जाना, पहचाना जाता था. अब मुझे हमेशा के लिये मंजूलता सोनी पत्नि श्री बनवारीलाल सोनी के नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम  
(मंजू सोनी)  
(G-1029)

नया नाम  
(मंजूलता सोनी)

### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती कृष्णा गुप्ता पत्नी श्री महेंद्र कुमार गुप्ता सर्वसाधारण को सूचित करना चाहती हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम माला गुप्ता था. यह कि मेरे दोनों पुत्रों एवं एक पुत्री है. जिनके नाम निपुण गुप्ता, निधि गुप्ता एवं नमन गुप्ता के शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम माला गुप्ता लिखा है जबकि वर्तमान में मुझे श्रीमती कृष्णा गुप्ता के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है और मेरे आधार क्रमांक 519914921979 में लिखा गया है अतः मेरे दोनों पुत्र एवं पुत्री के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रपत्र में मेरा नाम माला गुप्ता के स्थान पर श्रीमती कृष्णा गुप्ता लिखा व पढ़ा जावे आमजन सूचित हो.

पुराना नाम  
(माला गुप्ता)

नया नाम  
(कृष्णा गुप्ता पति महेंद्र कुमार गुप्ता)

(G-1030)

### नाम परिवर्तन

मैं, सौमित्र पाण्डेय पिता श्री विनय पाण्डेय उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी-796/1, स्नेह नगर, जबलपुर, म.प्र. यह कथन करता हूँ कि मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में एवं मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र एवं समग्र आई.डी. में मेरा नाम सौमित्र पाण्डेय दर्ज है. मैं अपना उपरोक्त नाम परिवर्तित कर विशाल वल्लभेष पाण्डेय करना चाहता हूँ, सौमित्र पाण्डेय एवं विशाल वल्लभेष पाण्डेय एक ही व्यक्ति है. आज से मुझे सौमित्र पाण्डेय की जगह विशाल वल्लभेष पाण्डेय नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम  
(सौमित्र पाण्डेय)

नया नाम  
(विशाल वल्लभेष पाण्डेय)

(G-1031)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कु. प्रियांशी गुप्ता पुत्री श्री संजय कुमार गुप्ता हूँ, मेरी कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में पिता के नाम के स्थान पर संजय गुप्ता लिखा हुआ है जबकि मेरे पिता का नाम संजय कुमार गुप्ता है. मेरे अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम संजय कुमार गुप्ता लिखा गया है. मेरे पिता का नाम संजय गुप्ता के स्थान पर संजय कुमार गुप्ता ही पढ़ा जावे. मेरी बी.टेक की मार्कशीट एवं आधार कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, वोटर कार्ड एवं मेरे पिता के दस्तावेजों में भी मेरे पिता का नाम संजय कुमार गुप्ता है.

पुराना नाम  
(प्रियांशी गुप्ता)  
पुत्री श्री संजय गुप्ता

नया नाम  
(प्रियांशी गुप्ता)  
पुत्री श्री संजय कुमार गुप्ता  
पता-निवासी-44, बलवन्त नगर, गांधी रोड,  
ग्वालियर.

(G-1032)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नमन कुमार दुबे (Naman Kumar Dubey) आयु 19 वर्ष, निवासी- टी-3, प्लाट नंबर 55, हीरा अपार्टमेंट, गोविन्द गार्डन, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के दस्तावेज केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हाईस्कूल मार्कशीट में उनके पिता का नाम राजेश दुबे चल रहा है, क्योंकि उनके पिता का सही नाम राजेश कुमार दुबे (Rajesh Kumar Dubey) है इसलिए नमन कुमार दुबे के हाईस्कूल के दस्तावेज में अब से उनके पिता का नाम राजेश कुमार दुबे लिखा एवं पढ़ा जावे.

नया नाम

**(राजेश कुमार दुबे)**

आ. श्री दिनेशचंद दुबे

पता- टी-3, प्लाट नंबर 55, हीरा

अपार्टमेंट, गोविन्द गार्डन, तहसील

हुजूर, जिला भोपाल.

(G-1033)

**नाम परिवर्तन**

मैं, राम नरेश पुत्र श्री कल्याण सिंह सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम नरेन्द्र सिंह गुर्जर था जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिखा है. जबकि वर्तमान में मुझे राम नरेश के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है. जो मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक व अन्य प्रपत्रों में लिखा है. राम नरेश एवं नरेन्द्र सिंह गुर्जर दोनों मेरे ही नाम हैं एवं भविष्य में भी मुझे राम नरेश के नाम से ही जाना, पहचाना और पुकारा जायेगा. अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम नरेन्द्र सिंह गुर्जर के स्थान पर राम नरेश लिखा एवं पढ़ा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

**(नरेन्द्र सिंह गुर्जर)**

नया नाम :

**(राम नरेश पुत्र श्री कल्याण सिंह)**

पता- शीतला माता रोड, आई.टी.एम., ग्वालियर

(G-1034)

**नाम परिवर्तन**

मैं, हर्षिक सचदेवा पुत्र श्री कमल सचदेवा सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा घर बोलता नाम साहेब सचदेव (SAHEB SACHDEV) था जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिखा है. जबकि वर्तमान में मुझे हर्षिक सचदेवा के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है. जो मेरे आधार कार्ड व अन्य प्रपत्रों में लिखा है. हर्षिक सचदेवा एवं साहेब सचदेव दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम साहेब सचदेव (SAHEB SACHDEV) के स्थान पर हर्षिक सचदेवा लिखा एवं पढ़ा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

**(साहेब सचदेव)**

नया नाम :

**(हर्षिक सचदेवा पुत्र श्री कमल सचदेवा)**

पता- जवाहर गंज गंगापुरा, अरू, ग्वालियर

(G-1035)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम ममलेश चावड़ा पिता भवर सिंह (MAMLESH CHAWDA S/o BHAVAR SINGH), था, जिसे मैं परिवर्तित कर ममलेश चावड़ा पिता श्री भंवरसिंह चावड़ा (MAMLESH CHAWDA S/o BHANWAR SINGH CHAWDA) करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे व मेरे पिता के आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं पेन कार्ड में उनका नाम श्री भंवरसिंह चावड़ा ( BHANVER SINGH CHAWDA) ही दर्ज है, स्कूल रिकार्ड से ही पिता के रूप में "भवर सिंह" नाम मेरे नाम के साथ त्रुटिवश दर्ज हो गया था, जिसे मैं, दूरुस्त करवाकर "भंवरसिंह चावड़ा" करवाना चाहता हूँ तथा आगे से ममलेश चावड़ा पिता श्री भंवरसिंह चावड़ा (MAMLESH CHAWDA S/o BHANWAR SINGH CHAWDA) नाम से ही जाना, पहचाना जाऊंगा. विदित हो.

पुराना नाम

(ममलेश चावड़ा पिता भवरसिंह)

(MAMLESH CHAWDA

BHAVAR SINGH)

नया नाम

(ममलेश चावड़ा पिता श्री भंवरसिंह चावड़ा)

(MAMLESH CHAWDA S/o BHANWAR SINGH CHAWDA)

(G-1036)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, साइम मलिक पुत्र मोह. इकबाल मलिक, आयु निवासी-म.नं. 10, ऋषि विलास, अब्बास नगर रोड, एयरपोर्ट बायपास, भोपाल (म.प्र.) यह मेरा नाम मोह. साइम मलिक समस्त शैक्षणिक अंक सूची में दर्ज हो गया है. जो कि मेरे आधार कार्ड व पेन कार्ड में दर्ज है. तथा दोनों नाम एक ही व्यक्ति यानी स्वयं साइम मलिक के हैं. यह कि भविष्य में मेरा नाम साइम मलिक ही लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(मोह. साइम मलिक)

नया नाम :

(साइम मलिक)

नि.-म.नं. 10, ऋषि विलास, अब्बास नगर रोड,  
एयरपोर्ट बायपास, भोपाल.

(G-1037)

### नाम परिवर्तन

मैं, राधिका शास्त्री पत्नी श्री राहुल रावल, आयु-39 वर्ष, निवासी-म.-नं.42, अशोका सोसायटी, ई-7, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) यह कि राध्यवीरा रावल (RADHYAVEERA RAWAL) आयु 09 वर्ष, मेरी पुत्री है एवं मेरी पुत्री का घर का पुराना नाम राएना रावल (RAAINA RAWAL) था, जिसे परिवार की सहमति से संशोधित कर हम अपनी पुत्री का नाम राध्यवीरा रावल (RADHYAVEERA RAWAL) करवाना चाहते हैं.

इस विज्ञप्ति के उपरांत हमारी पुत्री राध्यवीरा रावल (RADHYAVEERA RAWAL) नाम से ही जानी, पहचानी एवम पुकारी जाएगी.

पुराना नाम

(राएना रावल)

(RAAINA RAWAL)

नया नाम

(राध्यवीरा रावल)

(RADHYAVEERA RAWAL)

(G-1038)

**नाम परिवर्तन**

मैं, कमलेश पत्नी स्व. श्री छत्तु रजक, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम श्रीमती कम्मोदा था जो मेरी पति की एल.आई.सी. पॉलिसी क्रमांक 200937288 के नॉमिनेशन (उत्तराधिकारी) के रूप में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मैं, कमलेश पत्नी स्व. श्री छत्तु रजक के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ एवं मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक एकाउन्ट इत्यादि में मेरा नाम कमलेश लिखा गया है, कम्मोदा एवं कमलेश दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे पति की बीमा पॉलिसी क्रमांक 200937288 के नॉमिनेशन (उत्तराधिकारी) में मेरा नाम कम्मोदा के स्थान पर कमलेश लिखा एवं पढ़ा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :  
(कम्मोदा)

नया नाम :  
(कमलेश)

पत्नी स्व. श्री छत्तु रजक

नि.- हाउस नं. 67, ग्राम हीरापुरा, रघुनाथपुर,  
श्योपुर, रघुनाथपुर, म.प्र.

(G-1039)

**आम सूचना**

मेसर्स अवनी डेव्हलपर्स जिसका पंजीयन क्रमांक 01.01.01./00557/14, दिनांक 25/03/2014 है. जो कि रजिस्ट्रार फर्मस एंड सोसायटी भोपाल से संबद्ध है. उक्त फर्म के भागीदार कमल कुमार आर्य का दिनांक 05-01-2021 को इनका निधन हो चुका है, इनके स्थान पर इनकी पुत्री श्रीमती सुविधा आर्य जो कि इस फर्म में पूर्व से ही भागीदार थीं को अपना हिस्सा भी वसीयत के आधार पर दिया है. इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो सात दिवस के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.

कृते पार्टनर-अवनी डेव्हलपर्स  
डिवाइन शॉप, बाबू चौक  
जवाहर वार्ड, बैतूल गंज.

(G-1040)

**आम सूचना**

मेसर्स सन् शाईन डेवलपर्स बैतूल ओर से पार्टनर-पंजीयन नंबर 01-01-01-00097-14, दिनांक 04-08-2014 फर्म एवं संस्था भोपाल रजिस्टर्ड है. उक्त फर्म के भागीदार श्री शंकरलाल प्रजापति पिता श्री उमराव प्रजापति का स्वर्गवास दिनांक 29-04-2021 को हो जाने से उनके वारिसान पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रजापति, मोहित प्रजापति एवं पुत्रियां श्रीमती मेधा प्रजापति एवं श्रीमती नेहा प्रजापति को फर्म के उनके स्थान पर दिनांक 26-06-2021 सम्मिलित किया गया. इस संबंध में यदि किसी प्रकार से आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन से सात दिवस के भीतर अपनी आपत्ति कर सकते हैं.

(मो. नासिर) कृते  
मेसर्स सन् शाईन डेवलपर्स, बैतूल ओर से पार्टनर,  
जिला जेल के पीछे, गांधी वार्ड, बैतूल.

(G-1041)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है हमारी फर्म में एम.एच.के.एस. मोहम्मद अली छिन्दवाड़ा (M/S MHKS MOHD ALI CHHINDWARA) के नाम से एक भागीदारी फर्म है।

इस फर्म से दिनांक 01-04-2020 से एक भागीदार (1) श्री मोइज अख्तर पिता श्री मंसूर अख्तर, निवासी लोनिया करबल, परासिया रोड, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) निकल रहे हैं।

अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 01-04-2020 से संशोधन उपरांत दो साझेदार रहेंगे। उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस वार्ड नं. 45, लोनिया करबल, परासिया रोड, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है।

(मरियम अमीन)

(पार्टनर)

(G-1042)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सार्थक सिक्यूरिटी एण्ड मेनपावर सर्विसेस पंजीयन क्रमांक 01-01-01-0192-20 दिनांक 08 अक्टूबर 2020 पता-270, न्यू मिनाल रेसीडेन्सी, जे.के. रोड, भोपाल पंजीकृत फर्म है। संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 12 अप्रैल 2022 के अनुसार नवीन पुरोहित पिता रामेश्वर दयाल पुरोहित निवासी-म.नं.-11, निखिल नेस्टलेस, जाटखेड़ी, होशंगाबाद रोड, भोपाल को दिनांक 11 अप्रैल 2022 को इस भागीदारी फर्म में सम्मिलित किया गया है तथा उदय वीर दुबे पिता सीता राम दुबे, निवासी-ए-270, न्यू मिनाल रेसीडेन्सी, जे.के. रोड, भोपाल इस भागीदारी फर्म से दिनांक 11 अप्रैल 2022 को पृथक् (अलग) हो रहे हैं और भागीदारी फर्म का नवीन पता- फ्लैट नं. 212, सेकेण्ड फ्लोर, टाइप ए-1, सागर लैण्डमार्क, अयोध्या बायपास रोड, भोपाल किया गया है। किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो सात दिवस के अंदर फर्म के कार्यालय में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

(पुष्पराज मिश्रा)

(भागीदार)

मेसर्स सार्थक सिक्यूरिटी एण्ड मेनपावर सर्विसेस  
पता-फ्लैट नं. 212, सेकेण्ड फ्लोर, टाइप ए-1, सागर  
लैण्डमार्क, अयोध्या बायपास रोड, भोपाल.

(G-1043)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स-राजावत स्टोन इण्डस्ट्रीज, पंचवटी कॉलोनी, बहोडापुर ग्वालियर, म.प्र. जो कि रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी ग्वालियर, संभाग ग्वालियर में पंजीयत है। जिसका पंजीयन नं. 02-42-02-00200-10 दिनांक 13-12-2010 है। उक्त फर्म से भागीदार क्रमांक 1. श्री यतेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री राजबहादुर सिंह चौहान उम्र 37 वर्ष, पता. डी एच-89, दीनदयाल नगर, ग्वालियर, म.प्र., दिनांक 01-04-2022 को अपनी स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये हैं। इनके स्थान पर नवीन भागीदार 1. श्री विमल कुमार जैन पुत्र श्री महेश चन्द्र जैन, उम्र 43 वर्ष, पता-दीना वाली गली, निरंकारी बेकरी के पास, जनकगंज, लश्कर, ग्वालियर, म.प्र. को अपनी फर्म में दिनांक 01-04-2022 को सम्मिलित किया जा रहा है। आमजन सर्वजन सूचित हों।

(दीपक जैन)

(पार्टनर)

मेसर्स- राजावत स्टोन इण्डस्ट्रीज,  
पंचवटी कॉलोनी, बहोडापुर, ग्वालियर, म.प्र.

(G-1044)



### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मैसर्स देव इन्फ्रा (MS DEV INFRA) कार्यालय, बी एम-117, डी डी नगर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) 474020 है जो दिनांक 13 मार्च 2020 से एक साझेदारी फर्म के रूप में कार्य कर रही है जिसका पंजीयन क्र. 02-42-01-0005-20 वर्ष 2020-21, दिनांक 08 मई 2020 है जिसका संशोधित विलेख दिनांक 09 मई 2022 को सम्पादित हुआ जो इस प्रकार है कि (1) श्रीमती पिंकी छारी पत्नी श्री विनोद कुमार छारी स्वेच्छा से त्याग पत्र देकर फर्म से हट रहीं हैं, (2) श्री देवेंद्र शर्मा पुत्र श्री आनंद लाल शर्मा एवं सुनीता शर्मा पत्नी श्री देवेंद्र शर्मा फर्म में सम्मिलित हुए हैं।

(श्री देवेंद्र शर्मा)

(पार्टनर)

फॉर: मैसर्स देव इन्फ्रा (MS DEV INFRA)

पता- बी एम-117, डी डी नगर, ग्वालियर

(मध्यप्रदेश)

(G-1045)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री राम ग्रुप कार्यालय, शॉप क्रमांक 08, फर्स्ट फ्लोर, टाउन हॉल, जीवाजी गंज, मुरैना (मध्यप्रदेश) 476001 जो कि दिनांक 01 फरवरी 2020 से एक साझेदारी फर्म के रूप में कार्य कर रही है जिसका पंजीयन क्रमांक 02-44-01-0343-20 वर्ष 2019-20, दिनांक 12 मार्च 2020 है जिसका संशोधित विलेख दिनांक 01 अप्रैल 2022 को सम्पादित हुआ जो इस प्रकार है कि श्री राजेश गर्ग पुत्र श्री रमेश चंद गर्ग फर्म में सम्मिलित हुए हैं, यहाँ जानकारी आम जन को सूचित हो।

(राहुल सिंह सिकरवार)

(पार्टनर)

फॉर: मैसर्स श्री राम ग्रुप (Shri Ram Group) PARTNER

पता-शॉप क्रमांक 08, फर्स्ट फ्लोर, टाउन हॉल, जीवाजी गंज,

मुरैना, (मध्यप्रदेश)।

(G-1046)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स विन्ध्या डेवलपर्स सतना पंजीयन क्रमांक री.सं. 34, दिनांक 09-08-2004 द्वारा पंजीकृत है, उक्त फर्म में निम्न तीन (3) भागीदारी क्रमशः :- (1) श्री नितिन कुमार शुक्ला आत्मज श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ला, साकिन 259/2, पतेरी महदेवा, जिला सतना, मध्यप्रदेश (2) श्री विपिन कुमार शुक्ला आत्मज श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ला, साकिन यू सी किन्डीज प्ले स्कूल, दुर्गा माता मंदिर के सामने, विराट नगर, जिला सतना, मध्यप्रदेश (3) श्रीमती सन्ना आवतवानी पत्नी श्री रोहित आवतवानी, साकिन मकान नं. 270, सिन्धी कैम्प, जिला सतना, मध्यप्रदेश है। फर्म मैसर्स विन्ध्या डेवलपर्स सतना को दिनांक 31 मार्च 2022 को भंग की जाती है। उक्त फर्म मैसर्स विन्ध्या डेवलपर्स सतना के भंग होने के उपरांत फर्म में मौजूद चल एवं अचल संपत्ति तीनों भागीदारों के मध्य विघटन डीड में दर्ज हिस्सेदारी के अनुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय,

संबंधित तहसील के द्वारा बंटवारा कराया जावेगा. अगर इसमें किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 05 (पाँच) दिवस के अन्दर इस पते पर सूचित करें, वाद समाप्त म्याद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी.

(नितिन कुमार शुक्ला)

(विपिन कुमार शुक्ला)

(सन्ना आवतवानी)

(भागीदार)

मैसर्स विन्ध्या डेवलपर्स

(G-1047)

### आम सूचना

फर्म यूनिक इन्टरप्राइजेज, म नं. 280, भगवानगंज वार्ड, सुभाष नगर, सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 06-09-01-0018-17, सन् 2017-2018 दिनांक 09 मई 2017 है. उक्त फर्म की भागीदारी में संशोधन होने के कारण दिनांक 31-03-2022 से श्रीमती माधुरी जैन पत्नी श्री निर्मल कुमार जैन, निवासी-राधेश्याम भवन, भगवानगंज, सागर अपनी स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गयीं हैं एवं श्री संस्कार जैन आत्मज श्री मनीष कुमार जैन, निवासी-म. नं. 260/ए वार्ड नं. 18, भगवानगंज, सुभाष नगर, सागर, दिनांक 01-04-2022 से फर्म में शामिल हो गये हैं. अब फर्म में (1) श्री प्रतीश जैन (2) श्री मनीष कुमार जैन (3) आशीष कुमार जैन (4) श्री संस्कार जैन भागीदार रहेंगे. उक्त सूचना फर्म के भागीदारों एवं फर्म से जुड़े व्यक्तियों को सूचनार्थ प्रकाशित है.

(प्रतीश जैन)

(भागीदार)

फर्म यूनिक इन्टरप्राइजेज,

पता-म. नं. 280 भगवानगंज वार्ड, सुभाष नगर, सागर (म.प्र.)

(G-1048)

### आम सूचना

फर्म यूनिक एजेन्सीज, राधेश्याम भवन, भगवानगंज, भोपाल रोड, सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 06-09-01-00013-11 सन् 2011-2012, दिनांक 10 मई 2011 है. उक्त फर्म की भागीदारी में संशोधन होने के कारण दिनांक 31-03-2022 से श्रीमती माधुरी जैन पत्नी श्री निर्मल कुमार जैन, निवासी-राधेश्याम भवन, भगवानगंज, सागर अपनी स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गयीं हैं. अब फर्म में (1) श्री निर्मल कुमार जैन (2) श्री मनीष कुमार जैन (3) आशीष कुमार जैन भागीदार रहेंगे. उक्त सूचना फर्म के भागीदारों एवं फर्म से जुड़े व्यक्तियों को सूचनार्थ प्रकाशित है.

(निर्मल कुमार जैन)

(भागीदार)

पता-फर्म यूनिक एजेन्सीज, राधेश्याम भवन,  
भगवानगंज, सागर (म.प्र.)

(G-1049)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स- श्री राम डेव्लपर्स 5, चन्द्र नगर, विहाइन्ड जी.डी.ए., खेडापति रोड, ग्वालियर, म.प्र. जो कि राजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी ग्वालियर, संभाग ग्वालियर में पंजीयत है। जिसका पंजीयन नं. 02-42-01-00122-13, दिनांक 13-11-2013 है। उक्त फर्म से भागीदार क्रमांक 1. श्री आशाराम वैश (गेडा) पुत्र श्री देवकी नंदन वैस उम्र 82 वर्ष पता- 345, जीवाजी नगर, ग्वालियर, म.प्र., भागीदार क्रमांक 2. मेसर्स आर कांत एण्ड संस एच यू एफ कर्ता श्री रमाकांत गुप्ता पता- न्यू चन्द्र नगर, ग्वालियर, म.प्र. भागीदार क्रमांक 3. श्री अक्षत सिंगल पुत्र श्री हरिओम सिंगल, उम्र 39 वर्ष पता- सिटी सेंटर, ग्वालियर, म.प्र. एवं भागीदार क्रमांक 4. श्रीमती प्रीति अग्रवाल पत्नी श्री पवन अग्रवाल उम्र 50 वर्ष पता- खेडापति कॉलोनी, ग्वालियर, म.प्र. दिनांक 01-04-2022 को अपनी स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये हैं। इनके स्थान पर नवीन भागीदार 1. श्री आकाश शर्मा पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, उम्र 36 वर्ष पता- 527ए, सुरेश नगर थाटीपुर, ग्वालियर, म.प्र. को अपनी फर्म में दिनांक 01-04-2022 को सम्मिलित किया जा रहा है। दिनांक 01-04-2022 से फर्म के वर्तमान पते में भी परिवर्तन किया गया है। फर्म का वर्तमान पता- 5, चन्द्र नगर, विहाइन्ड जी.डी.ए., खेडापति रोड, ग्वालियर, म.प्र. था अब उसके स्थान पर फर्म का नवीन पता- 01, एल ई ग्राण्डीओस इन फ्रंट ऑफ सुन्दरम पेट्रोल पम्प, डोंगरपुर, ग्वालियर, म.प्र. 475001 हो गया है।

(रोहित वाधवा)

(पार्टनर)

मैसर्स- श्री राम डेव्लपर्स

पता-5, चन्द्र नगर, विहाइन्ड जी.डी.ए., खेडापति रोड,  
ग्वालियर, म.प्र.

(G-1050)

### आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है हमारी फर्म में केयर पैथोलाजी लेब (M/S CARE PATHOLOGY LAB) के नाम से एक भागीदारी फर्म है।

इस फर्म से दिनांक 01-04-2022 से एक भागीदार (1) अरविंद जैन पिता श्री पंचमलाल जैन, निवासी-राम मंदिर के पास, छोटी बाजार, छिन्दवाड़ा, तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) निकल रहे हैं एवं उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 01-04-2022 से दो भागीदार (1) श्रीमती ज्योति वर्मा पति श्री भोजराज सिंह वर्मा, निवासी-सुन्दर देवरे नगर, गली नं. 6, वार्ड नं. 37, छिन्दवाड़ा, तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) (2) श्रीमती गीतिका पवार पति कन्हैयालाल पवार, निवासी-वार्ड नं. 15, अम्बेडकर नगर, परासिया रोड, छिन्दवाड़ा, तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) शामिल हो रही हैं। अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 01-04-2022 से संशोधन उपरांत चार साझेदार रहेंगे। उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस, वार्ड नं. 40, डॉ. बक्सी वाली गली, गुलाबरा, छिन्दवाड़ा, तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है।

(भोजराज सिंह वर्मा)

(पार्टनर)

(G-1051)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है हमारी फर्म में एम.एच.के.एस. मोहम्मद अली, छिन्दवाड़ा (M/S MHKS MOHD ALI CHHINDWARA) के नाम से एक भागीदारी फर्म है।

इस फर्म से दिनांक 24-04-2021 से एक भागीदार (1) श्री जोएब अमीन पिता स्व. श्री मोहसिन अमीन, निवासी लोनिया करबल, परासिया रोड, छिन्दवाड़ा, तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) निकल रहे हैं एवं उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 24-04-2021 से एक भागीदार (1) श्रीमती रशीदा अमीन पति स्व. श्री मंसूर अख्तर, निवासी लोनिया करबल, परासिया रोड, छिन्दवाड़ा, तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) शामिल हो रही हैं।

अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 24-04-2021 से संशोधन उपरांत दो साझेदार रहेंगे। उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस, वार्ड नं. 45, लोनिया करबल, परासिया रोड, छिन्दवाड़ा, तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है।

(मरियम अमीन)

(पार्टनर)

(G-1052)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है हमारी फर्म में (M/S KAMLA COLD STORAGE) के नाम से एक भागीदारी फर्म है। जिसका पंजीयन क्रं. 02-42-01-00083-13 है। जिसमें दिनांक 28-09-2020 को भागीदार मंजू गोयल पत्नी श्री वेद प्रकाश गोयल, निवासी तेजेन्द्रनाथ की गली, दाल बाजार, लशकर, ग्वालियर है कि मृत्यु हो जाने के कारण फर्म से पृथक् हो गई हैं एवं दिनांक 03-11-2020 में श्री शुभम गोयल पुत्र श्री वेद प्रकाश गोयल, निवासी तेजेन्द्रनाथ की गली, दाल बाजार, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में शामिल हो गये हैं एवं दिनांक 23-05-2022 को भागीदार श्रीमती कमला शिवहरे पत्नी श्री लक्ष्मी नारायण शिवहरे, निवासी बी-17, अशोक विहार, तानसेन रोड ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गई हैं एवं इसी दिनांक को कु. आरती शिवहरे पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण शिवहरे, निवासी बी-17, अशोक विहार, तानसेन रोड, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गई हैं।

(श्री शुभम गोयल)

(पार्टनर)

मैसर्स कमला कोल्ड स्टोरेज,  
ए पुरानी छावनी, ए.बी. रोड, ग्वालियर.

(G-1053)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स किक ऑफ जिसका पंजीयन क्रमांक 01-01-01-0344-17 सन् 2017 एवं 2018, दिनांक 27-11-2017 को पंजीकृत है पता-ए-11 विद्या नगर, होशंगाबाद रोड, भोपाल, दिनांक 30-05-2018 को फर्म से मेसर्स जैनाबिन रिटेलर्स प्रायवेट लिमिटेड पार्टनर डारेक्टर श्रीमती मंजू जैन स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रही हैं एवं दिनांक 29-11-2021 को श्रीमती ईशू जैन एवं पूर्वा जैन (शराफ) स्वेच्छा से पृथक् हो रही हैं बाकी पार्टनर यथावत् रहेंगे.

(अभिषेक)

(भागीदार)

फर्म मेसर्स किक ऑफ.

(G-1054)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स श्री दिव्यांश इन्फ्रास्ट्रक्चर, पंजीयन क्रमांक 01-01-01-0111-15 वर्ष 2015-16, दिनांक 17-06-2015 पंजीकृत कार्यालय, पता-जी.एफ.-3, आर.के.टॉवर, 94, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल म.प्र. के नाम से पंजीकृत है. जिसमें 1, श्री नितिन मूलानी पुत्र श्री शिन लाल मूलानी एवं 2. श्रीमती दिव्या मूलानी पत्नी श्री नितिन मूलानी भागीदार थे. फर्म में से श्रीमती दिव्या मूलानी ने अपना हिस्सा लेकर अपनी स्वेच्छा से दिनांक 01-04-2022 से अपने आपको निवृत्त कर लिया है तथा उक्त फर्म में द्वितीय भागीदार के रूप में श्रीमती प्रिशा मूलानी पत्नी श्री विजय मूलानी निवासी-ई-2-160, अरेरा कॉलोनी भोपाल अपने हिस्से की पूंजी निवेश कर दिनांक 01-04-2022 से सम्मिलित हो गई हैं. अतः, अब श्रीमती दिव्या मूलानी का उक्त फर्म से कोई संबंध शेष नहीं रहा है, अतः फर्म में अब दिनांक 01-04-2022 से 1. श्री नितिन मूलानी भागीदार क्रमांक-1 एवं श्रीमती प्रिशा मूलानी भागीदार क्रमांक-2 के रूप में कार्यरत हैं. इनके अतिरिक्त अन्य कोई भागीदार नहीं हैं. तदनुसार सर्वसाधारण सूचित हो.

(श्री नितिन मूलानी)

(भागीदार)

पता-फर्म मेसर्स श्री दिव्यांश इन्फ्रास्ट्रक्चर.

(G-1055)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, वृत्त गोविन्दपुरा, भोपाल

क्र. 524-अ.वि.अ.-वृत्तगो.-22.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2022

**:: विज्ञप्ति ::**

म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 5(1)  
पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1952 के नियम 5(1) के अन्तर्गत  
समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट जिला भोपाल

जैसा कि आवेदक श्री प्रद्युम्न गुप्ता पुत्र श्री ब्रजेन्द्र गुप्ता निवासी- बी-231, विवेकानन्द परिसर कटारा हिल्स भोपाल (म.प्र.) के द्वारा संस्था "रानी कमलापति न्यास" कार्यालय - एच.आई.जी.-9, एस.एफ.-03 लीला टॉवर बी-सेक्टर सोनागिरी भोपाल (म.प्र.) के द्वारा म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र सूची में दर्शाई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है ।

2. एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक.....को विचार में लिया जावेगा । यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से उक्त प्रकरण में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

**:: अनुसूची ::**

ट्रस्ट का नाम व पता :-	"रानी कमलापति न्यास" एच.आई.जी.-9,एस.एफ.-03 लीला टॉवर बी-सेक्टर सोनागिरी भोपाल
न्यास कार्यालय का पता :-	एच.आई.जी.-9,एस.एफ.-03 लीला टॉवर बी-सेक्टर सोनागिरी भोपाल
अचल सम्पत्ति :-	निरंक
चल सम्पत्ति	5,000 / -

मनोज कुमार वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(G-1056)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/लोक न्यास, पंजीयन अधिकारी, पुष्पराजगढ,  
जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश

क्र. 01-राजस्व प्रकरण क्रमांक-बी-113-2022-23.

अनूपपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2022

## प्रारूप - तृतीय

(नियम पांच -(1) देखिये )

(म0प्र0 सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 के अर्न्तगत)

एतद सर्ब साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजियक पुष्पराजगढ जिला अनूपपुर म0प्र0 के समक्ष यह है कि आवेदक अध्यक्ष स्वामी प्रणवानंद सस्वती जी पिता गुरु स्वामी रामानन्द सरस्वती निवासी मारकण्डेय सन्यास आश्रम ओमकारेश्वर जिला खण्डवा ने महादेव गीता स्वाध्याय मन्दिर न्यास ट्रस्ट अमरकंटक थाना अमरकंटक तहसील पुष्पराजगढ जिला अनूपपुर लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 43 के अर्न्तगत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया गया है।

एतद् द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पत्र दिनांक 18.05.2022 को न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख में एक माह के भीतर प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहते हैं और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या उपरोक्त तारीख के अन्दर व्यक्तिशः अथवा प्लीडर अभिकर्ता के माध्यम उपस्थित होना चाहिये, उपरोक्त अवधि के अन्दर अवसान के उपरान्त किसी भी प्रकार से आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम पता सम्पत्ति का विवरण )

1. लोक न्यास का नाम :- " महादेव गीता स्वाध्याय मन्दिर न्यास ट्रस्ट अमरकंटक थाना अमरकंटक तहसील पुष्पराजगढ पुष्पराजगढ जिला अनूपपुर
2. चल सम्पत्ति :- भारतीय स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा अमरकंटक तहसील पुष्पराजगढ जिला अनूपपुर म0प्र0 खाते में 11000.00. रूपये जमा।
3. अचल सम्पत्ति:- ग्राम अमरकंटक तहसील पुष्पराजगढ जिला अनूपपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 264/4/2 का रकवा 0.101 हे० भूमि।

अभिषेक चौधरी, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयन अधिकारी.

(G-1057)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जूनी इन्दौर क्षेत्र, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश  
(कलेक्टोरेट कार्यालय, कक्ष क्रमांक 204, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश)

क्र. 136-रीडर-1-22.

जूनी इन्दौर, दिनांक 5 मई 2022

विज्ञप्ति ( फार्म चार )

मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व

मध्य प्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत

श्री दसनाम गोस्वामी समाज ट्रस्ट पता-गंगा भारती मठ हरसिध्दी, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं । निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों / दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल - चल संपत्ति का विवरण)

श्री दसनाम गोस्वामी समाज ट्रस्ट पता-गंगा भारती मठ हरसिध्दी, इन्दौर अचल संपत्ति :- निरंक ।  
चल संपत्ति :- रुपये 13000/- (अक्षरी रूपमें तेरह हजार रुपये मात्र)

आज दिनांक

को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया ।

अंशुल खरे, पंजीयक.

(G-1058)

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व,  
आधारताल, जिला जबलपुर

रा. प्र. क्र. 002-बी-113-2021-2022.

जबलपुर, दिनांक 20 मई 2022

प्रारूप-4

(सूचना पत्र नियम-5(1) देखिए)

म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत

चूंकि प्रकरण में आवेदक पराकम फाउंडेशन न्यास द्वारा श्री श्रीकांत नामदेव व अन्य निवासी ए 701 आयकर आवासीय अपार्टमेंट जी ब्लॉक सोफिटेल्स होटल के पास बी के सी बांद्रा पूर्व मुम्बई महाराष्ट्र जिला जबलपुर द्वारा म0प्र0लोकन्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 के अधीन "पराकम फाउंडेशन न्यास " का नवीन न्यास के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

अतः एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 6/06/2022 को विचार के लिए नियत है। कोई भी व्यक्ति/ संस्था उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उक्त नियुक्ति के बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है,



अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों /सुझावों पर कोई विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा।

### अनुसूची

( लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास का नाम/पता - " पराकम फाउंडेशन न्यास"
2. न्यास का पता- सेन्द्रल एकेडमी स्कूल मथुरा बिहार विजयनगर जबलपुर
3. न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य- सार्वजनिक न्यास के रूप में पूर्णतः लोकहित में कार्य करेगा। सुभाषचंद बोस से संबंधित प्रकाशित एवं अप्रकाशित साहित्य का संग्रहण, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, सामाजिक विकास से संबंधित गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन/ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में कार्यक्रम, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वतलंबन संबंध में सामाजिक चेतना, समाज में सुदूर ग्रामीण जनजाति एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में निवासरत पराकमी युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करना, रक्तदान नेत्रदान एवं देहदान के लिए समाज को जागृत करना। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत शैक्षणिक संस्थाओं एवं प्रकल्पों की सहायता करना।

जारी दिनांक - 20/05/2022

पेशी दिनांक- 06/06/2022

नमः शिवाय अरजरिया, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(G-1059)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जूनी इन्दौर क्षेत्र, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश  
(कलेक्टोरेट कार्यालय, कक्ष क्रमांक 204, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश)

क्र. 40-रीडर-1-21.

जूनी इन्दौर, दिनांक 7 अप्रैल 2022

विज्ञप्ति ( फार्म चार )

मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व

मध्य प्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 (1) के अर्न्तगत

बथेल इण्डिया गोपसपल मिनिस्ट्रीज चर्चर्स पता-212, ई. बी. स्कीम न. 94, विजय नगर, जिला इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अर्न्तगत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

## परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल - चल संपत्ति का विवरण)

ध्वेर्धल इण्डिया गोसपल मिनिस्ट्रीज चर्चर्स पता-212, ई. बी. स्कीम न. 94, विजय नगर, जिला इन्दौर

अचल संपत्ति :- निरंक ।

चल संपत्ति :- रुपये 5000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र)

आज दिनांक

को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया ।

अंशुल खरे, पंजीयक.

(G-1060)

न्यायालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, शाजापुर, जिला शाजापुर

प्र. क्र. 0002-बी-113-2021-22.

(शीर्षक श्री दामोदर वंशीय गुजराती दर्जा समाज शाजापुर)

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 5 (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1952 का नियम 5 (1) देखिए।

पंजीयक लोक न्यास शाजापुर जिला शाजापुर के समक्ष

चूंकि दामोदर वंशीय गुजराती दर्जा समाज शाजापुर की और स अधिकृत अध्यक्ष श्री प्रशांत चौहान पिता बाबूलाल निवासी गुरुनानक देव मार्ग उदासी गली शाजापुर द्वारा लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 के अंतर्गत जो कि सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, और सामाजिक धार्मिक एवं अन्य सामाजिक गतिविधियों सम्पन्न कराना गौशाला का उत्थान एवं गौशालाओं का संचालन करना, देवी विपत्ति, अनावृष्टि, बाढ़, अकाल, भूकम्प पीडित बन्धुओं की जन सहयोग के माध्यम से यथासंभव सेवा एवं सहायता करना। राज्य सरकार एवं केन्द्रिय सरकार के द्वारा विभिन्न धार्मिक योजनाओं का कियान्वयन कर सहयोग प्राप्त करना। न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान, सहायता आदि के रूप में द्रव्य एवं सामग्री एकत्रित करना, उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समय समय आवश्यक कदम उठाना, स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर की स्वयं सेवा संस्था, व्यक्तियों, दानदाताओं एवं फाउन्डींग एजेन्सी तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार से सहयोग लेना एवं कार्यक्रमों का आयोजन करना गतिविधि स्वरूप का होगा के पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी चल-अचल संपत्ति परिशिष्ट में दर्शाई गई है। सर्व संबंधित को यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे न्यायालय में विचाराधीन नियत है।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा, कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, व इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें, निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों या सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट " अ "

न्यास की चल संपत्ति का विवरण

नगदी राशि मात्र 2,82,580/- रुपये (दो लाख बयासी हजार पाँच सौ अस्सी रुपये मात्र)

परिशिष्ट " ब "

न्यास की अचल संपत्ति का विवरण

श्री कृष्ण जी की पीतल की मूर्ति 6.5 इंच व बर्तन सामग्री

आज दिनांक 20 मई 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-1061)

शैली कनास, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील-कोलार, जिला भोपाल

प्र. क्र. -बी-113-2022-23.

//सूचना//

(म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्ग

जैसा कि आवेदकगण श्री हंसराज कामदार पिता स्व0 श्री अमरूमल कामदार एवं आठ अन्य द्वारा "बाबा नानक ट्रस्ट" कार्यालय का पता - ई-4/188, अरेरा कॉलोनी भोपाल म0प्र0 का पंजीयन किये जाने हेतु निर्धारित शुल्क का चालान, न्यास अभिलेख एवं ई-स्टॉम्प ड्युटी रूपये 1000/- संलग्न कर मध्यप्रदेश लोकन्यास अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 8 जून 2022 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "एक माह" के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

"अनुसूची"

- 1.- ट्रस्ट का नाम व पता - "बाबा नानक ट्रस्ट"  
कार्यालय - ई-4/188, अरेरा कॉलोनी भोपाल म0प्र0।
- 2- चल सम्पत्ति - राशि रूपये-51,000/- (इक्यावन हजार रूपये मात्र)।
- 3- अचल सम्पत्ति - ग्राम बावड़ियाकला स्थित भूमि खसरा क्रमांक 147/9/श पर रकबा 0.150 हे0, खसरा क्रमांक 147/9/ष पर रकबा 0.150 हे0 एवं खसरा क्रमांक 147/9/स पर रकबा 0.150 हे0 (भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका अनुसार खसरा क्रमांक 147/9/1/7/7, 147/9/1/7/8 एवं 147/9/1/7/9) इस प्रकार कुल रकबा 0.450 हेक्टेयर अर्थात् 1.11 एकड़ भूमि ।

आज दिनांक 9 मई 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

क्षितिज शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(G-1062)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग बड़ामलहरा, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

प्र. क्र. 0001-ब-113-2021-22.

बड़ामलहरा, दिनांक 28 अप्रैल 2022

आवेदकगण श्री धनीराम तनय श्री अयोध्या प्रसाद जैन बगैरह निवासी बार्ड नम्बर 05 मैन मार्केट घुवारा जिला छतरपुर म0प्र0 के द्वारा एक आवेदन पत्र धारा 04(2) म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट द्वारा श्री 1008 पद्मप्रभ दिगम्बर जैन भौयरा मंदिर ट्रस्ट घुवारा तहसील घुवारा जिला छतरपुर म0प्र0 का न्यास पंजीयन हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। लोक न्यास की उत्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है:-

स्व0श्रीमति नौनीबाई जैन धर्मपत्नि स्व0श्री मोतीलाल जैन (भौयरा वाले) निवासी वार्ड नम्बर 04 घुवारा के कोई संतान नहीं थी, जिससे उन्होंने अपनी अचल सम्पत्ति का सदुपयोग करने

की भावना से श्री 1008 दि० जैन बड़ा मंदिर समिति घुवारा को अपना एक पक्का मकान जो कि नगर घुवारा के वार्ड नम्बर 05 मैन मार्केट में स्थित है, जैन मंदिर निर्माण के उद्देश्य से रजिस्टर्ड दानपत्र द्वारा वर्ष 1989 में दान में दे दिया था। इस भवन में दानकर्ता श्रीमति नौनीबाई जैन के सहयोग से दान प्रापक समिति श्री 1008 दि० जैन बड़ा मंदिर समिति घुवारा द्वारा श्री 1008 पद्मप्रभ दि० जैन मंदिर का निर्माण कराया गया है। यह मंदिर (भवन) नगर परिषद घुवारा की वार्ड नं० 05 की समेकित कर पंजी में भवन क्रमांक 127 पर श्री 1008 दि० जैन बड़ा मंदिर समिति घुवारा के नाम पर अभी दर्ज है।

श्री 1008 दि० जैन बड़ा मंदिर समिति घुवारा के पास इस मंदिर के अलावा निम्नानुसार तीन और जैन मंदिर हैं (1) श्री 1008 शीतलनाथ दि० जैन मंदिर (2) श्री 1008 पार्श्वनाथ दि० जैन मंदिर तथा (3) श्री 1008 पद्मप्रभ दि० जैन बड़ा मंदिर। यह तीनों मंदिर एक ही परिवार में स्थित है जिससे उनके संरक्षण, संवर्धन और पूजन आदि व्यवस्थाएँ एक साथ अच्छी तरह हो जाती हैं किन्तु श्रीमति नौनीबाई जैन द्वारा दान में दिये गये भवन पर जो पद्मप्रभ दि० जैन मंदिर बनाया गया है वह इन मंदिरों से दूर है जिससे इसकी सुरक्षा, संवर्धन और पूजन आदि व्यवस्थाएँ स्वतंत्र रूप से किये जाने पर बेहतर व्यवस्थाएँ हो सकती हैं।

श्रीमति नौनीबाई जैन का स्वर्गवास हो गया है, उनके परिवारजनों ने ऐसी भावना व्यक्त की है कि यदि इस मंदिर की व्यवस्थाओं हेतु पृथक से एक ट्रस्ट का गठन कर दिया जावे तो हम सभी परिवारजन उस ट्रस्ट में सम्मिलित होकर इसकी व्यवस्थाओं में पूरा योगदान देते रहेगें उन्होंने बताया कि यही श्रीमति नौनीबाई जी की भावना भी थी। उन्होंने यह भी भावना व्यक्त की कि इस ट्रस्ट हमारे परिजनों और बड़ा मंदिर कमेटी के साथ में नगर घुवारा की अन्य तीनों जैन मंदिरों की कमेटियों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हो जावे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। श्रीमति नौनीबाई के परिवारजनों की इस भावना का सम्मान करते हुये श्री 1008 दि० जैन बड़ा मंदिर समिति घुवारा ने श्रीमति नौनीबाई के परिवारजनों के साथ बैठ कर आपसी सहमति से यह निर्णय लिया है कि श्री 1008 पद्मप्रभ दि० जैन भौयरा मंदिर की व्यवस्थाओं हेतु एक स्वतंत्र ट्रस्ट का गठन कर उसका पंजीयन करा दिया जावे और इस मंदिर की सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति इस ट्रस्ट के नाम कर दी जावे।

इस ट्रस्ट का नाम श्री 1008 पद्मप्रभ दि० जैन भौयरा मंदिर ट्रस्ट रखा गया। इस ट्रस्ट का स्वरूप आपसी सहमति से इस प्रकार निर्धारित किया गया कि चूंकि इस मंदिर निर्माण में दान प्रापक कमेटी श्री 1008 दि० जैन बड़ा मंदिर समिति घुवारा तथा भवन दान व मंदिर निर्माणकर्ता श्रीमति नौनीबाई जैन का महत्वपूर्ण योगदान है अतः ट्रस्ट के गठन में बड़ा मंदिर समिति एवं श्रीमति नौनीबाई जैन के परिजनों को बराबर-बराबर प्रतिनिधित्व दिया जावे। इसके साथ ही सकल दिगम्बर जैन समाज का संरक्षण, मार्गदर्शन व सहयोग इस मंदिर को सदैव मिलता रहे अतः तीनों मंदिर कमेटियों से भी प्रतिनिधि सम्मिलित किये जावे। अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री 1008 दि० जैन बड़ा मंदिर समिति से 5 स्थाई ट्रस्टी, श्रीमति नौनीबाई के परिजनों में से 5 स्थाई ट्रस्टी तथा नगर की अन्य तीन मंदिर कमेटियों से 1-1 स्थाई तथा 1-1 अस्थाई ट्रस्टी इस तरह 13 स्थाई तथा 3 अस्थाई कुल 16 ट्रस्टी रखे जावे। जिसका विधिवत संविधान बनाकर ट्रस्ट का पंजीयन कराया जावे। अभी चूंकि यह मंदिर श्री 1008 दि० जैन बड़ा मंदिर समिति घुवारा के नाम पर नगर परिषद घुवारा में दर्ज है अतः ट्रस्ट का गठन व पंजीयन हो जाने पर श्री 1008 दि० जैन बड़ा मंदिर समिति घुवारा उसे नगर परिषद में श्री 1008 पद्मप्रभ दि० जैन भौयरा मंदिर ट्रस्ट घुवारा के नाम पर दर्ज कराने हेतु विधि अनुसार कार्यवाही करेगी। इस तरह इस मंदिर की व्यवस्था व अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस ट्रस्ट का गठन किया गया है।

आवेदक द्वारा चालान क्रमांक 051/9999999/1475/02/22/010295 दिनांक 28.02.2022 के द्वारा 50/- पचास रुपये जमा खजाना किया जा चुका है। अतः गजट में प्रकाशन कराने एवं गजट की प्रति इस न्यायालय को भेजने का कष्ट करे।

कार्यालय, पंजीयक एवं लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, कोठीमहल, जिला उज्जैन

प्र. क्र. 0002-बी-113-2022-23

उज्जैन, दिनांक 18 अप्रैल 2022

प्रारूप चार  
(नियम-5) 1 (देखिए)  
सूचना पत्र

मध्य प्रदेश लोकन्यास अधिनियम 1959( 1951 का 30) की धारा की उपलब्ध (2) मध्य प्रदेश लोक न्यास नियम 1982 का नियम 5(1) देखिए।

पंजीयक,  
लोकन्यास,  
उज्जैन जिला उज्जैन के समक्ष

चूंकि आवेदक अखिल भारतीय जैन ज्ञानोदय शिक्षा एवं समाज कल्याण न्यास , निवासी 238/3/1 ई-वे प्लाजा ,तृतीय मंजिल , दो तालाब के पास रोड, उज्जैन म.प्र. ने लोक न्यास अधिनियम 1951 का 30 ( की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह आचार्य विद्यासागरजी महाराज के जीवन दर्शन, साहित्य एवं सिद्धांतों पर शोधरोधक गतिविधियों, सामाजिक कल्याणकारी परियोजनाओं को संयोजित करने के लिए न्यास की पंजीयन हेतु आवेदन किया है । एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 12.04.22 को प्रातः 11 बजे स्थान कोठी पेलैस उज्जैन का विचार के लिये लिया गया ।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है ।

अतः में पंजीयक लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर उज्जैन जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 12.04.2022 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा 1 द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता ओर कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

अनुसूची:-

( लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता )

न्यास का नाम:- अखिल भारतीय जैन ज्ञानोदय शिक्षा एवं समाज कल्याण न्यास , निवासी 238/3/1 ई-वे प्लाजा ,तृतीय मंजिल , दो तालाब के पास रोड, उज्जैन

कार्यालय:- 238/3/1 ई-वे प्लाजा ,तृतीय मंजिल , दो तालाब के पास रोड, उज्जैन अचल

संपत्ति :- निरंक

चल संपत्ति:- निरंक

जगदीश मेहरा, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, बड़वानी

क्र. 1908-रीडर-1-2020

बड़वानी, दिनांक 6 अप्रैल 2022

फार्म नंबर-4

(म.प्र.पब्लिक ट्रस्ट रूल्स5(1) के अन्तर्गत)

नोटिस

**अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट बड़वानी के समक्ष**

आवेदक अध्यक्ष डॉ० सुमेरसिंह सोलंकी पिता अमरसिंह सोलंकी जाति बारेला निवासी ठान तहसील पाटी द्वारा ग्राम अंचल सेवार्थ लोकहित न्यास बड़वानी का मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत का पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो तो वह नोटिस के प्रकाशन के 01 माह की अवधि के भीतर 2 प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा जरिये अभिभाषक के न्यायालय समय में प्रस्तुत कर सकते हैं । नियत अवधि के बाद प्रस्तुत किये जाने सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार/सुनवाई नहीं की जावेगी । आज दिनांक 6-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया है ।

(G-1065)

घनश्याम धनगर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग हुजूर, जिला-रीवा, मध्यप्रदेश

प्र. क्र. 388-बी-121-2021-22

रीवा, दिनांक 12 मई 2022

**मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (30) की धारा-5 की उपधारा-2**

**और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5।**

मुख्य नगर पालिक अधिकारी निवासी नगर परिषद् गोविन्दगढ़, रीवा द्वारा म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम 1951 का 30 की धारा- 4 के अधीन अनुसूचित में लोकन्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 12 जून 2022 को विचार के लिए जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका कि गठन वह करती हैं।

अतः ये पंजीयक लोक न्यास अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग हुजूर, जिला रीवा लोक न्यासों पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 12 जून 2022 को उक्त अधिनियम की धारा- 15 की उपधारा-1 में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

लोकन्यास का नाम और पता:-मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद्, गोविन्दगढ़, रीवा

चल सम्पत्ति -

शासकीय ट्रस्ट

अचल सम्पत्ति-

आ. क्र. 1684 रकबा 9.1050 हे.

(G-1066)

अनुराग तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, बड़वाह

प्र. क्र. 0001-बी-113 (1)-2021-22.

// फार्म-4 //

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा 5(2) एवं म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट रूल्स 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत:-

समक्ष पंजीयक, लोक न्यास, बड़वाह

चूंकि प्रार्थी श्री तुकाराम पिता रेवाराम गुर्जर निवासी ग्राम कातोरा तहसील सनावद जिला-खरगोन की ओर से "श्रीराम जानकी जुना मंदिर ट्रस्ट कातोरा" ग्राम कातोरा तहसील सनावद जिला-खरगोन द्वारा ट्रस्ट पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल/अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करे तथा उपस्थित रहे। निर्धारित अर्वाधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अ0कं0	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	राशि
1.	2.	3.	4.	5.
01.	नगद	—	—	—
02	अचल सम्पत्ति	निरंक	निरंक	निरंक

अनुकूल जैन, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G-1067)

(प्रारूप 3 नियम 4 पब्लिक ट्रस्ट एक्ट)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, रायसेन, मध्यप्रदेश

प्र. क्र. 752-प्रथा-01-2022

22 अप्रैल 2022

श्रीराम चरण सेवा ट्रस्ट, 1008 महंत पूजनीय बाबा गरीब दास जी की कृपा में अर्पित स्थान मिश्रा तालाब रायसेन तह. व जिला रायसेन द्वारा अध्यक्ष न्यासी श्री स्वामी मणीराम दास जी महाराज आयु वयस्क निवासी मिश्र तालाब रायसेन जिला रायसेन म.प्र. के द्वारा नियुक्त न्यासघारी सदस्य/सचिव कन्हैया सूरमा आ0 नन्नु लाल आयु वयस्क निवासी वार्ड नं. 06 रायसेन

आवेदक

— विरुद्ध —

सर्वसाधारण द्वारा श्रीमान जिलाध्यक्ष रायसेन जिला रायसेन — अनावेदक

लोक न्यास पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रारूप अनुसार

लोक न्यास के मामले में न्यास का नाम व पता :-

श्री राम चरण सेवा ट्रस्ट रायसेन तहसील व जिला रायसेन म.प्र.

1. मैं कन्हैया सूरमा आ० नन्नु लाल आयु वयस्क ट्रस्टीसदस्य/सचिव - श्रीराम चरण सेवा ट्रस्ट रायसेन का होकर उपरोक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता हूँ।
2. मैं कन्हैया सूरमा, सचिव श्रीराम चरण सेवा ट्रस्ट का होकर निम्न लिखित विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

एक). लोक ट्रस्ट की उत्पत्ति स्वरूप एवं उद्देश्य :- स्वामी श्रीराम चरण सेवा ट्रस्ट रायसेन कई वर्षों से स्थापित किया गया है स्वामी श्री राम चरण सेवा ट्रस्ट द्वारा उत्पत्ति स्वरूप एवं उद्देश्यों के सम्बन्ध में पृथक से नियम व संविधान बनाया गया है जो अवलोकन हेतु संलग्न है।

दो). लोक ट्रस्ट कार्यालय का पता :- श्रीराम चरण सेवा ट्रस्ट मिश्र तालाब रायसेन तहसील व जिला रायसेन म.प्र।

तीन). ट्रस्टी सदस्यों, कार्यकारिणी, प्रबंधक, व्यवस्थापक के नाम पद व उनके पते :-

1. श्री महन्त मणीराम दास जी महाराज - आजीवन संरक्षक एवं अध्यक्ष रायसेन
2. श्री रामपाल सिंह जी - कार्यकारी अध्यक्ष उदयपुरा
3. श्री रमाकान्त भार्गव - उपाध्यक्ष शाहगंज
4. श्री मिथलेश सोनी - सदस्य रायसेन
5. श्री दिनेश अग्रवाल - कोषाध्यक्ष रायसेन
6. श्री कन्हैया सूरमा - सचिव रायसेन
7. श्री महेश श्रीवास्तव - सदस्य रायसेन
8. श्री भैयालाल कुश्वाह - सदस्य रायसेन
9. श्री धीरेन्द्र सिंह कुश्वाह - सदस्य रायसेन
10. श्री श्रेयस सकसैना - सदस्य इन्दौर
11. श्री रोहित दुवे - सदस्य इन्दौर
12. श्री पंडित प्रदीप पुजारी - सदस्य उज्जैन
13. श्री सेवक राम चतुर्वेदी - सदस्य रायसेन
14. श्री विवेक दीक्षित - सदस्य भोपाल
15. श्री उमा शंकर ठाकुर - " वाडी
16. मेहबूब हुसैन - " भोपाल

चार). ट्रस्टी सदस्यों, कार्यकारिणी सदस्यों व्यवस्थापक/प्रबंधक की रिक्ति पूर्ति वावत रीति - अध्यक्ष परम पूजय गुरुदेव स्वामी मणीराम दास जी महाराज के द्वारा मनोनीत किये गये सदस्य होंगे एवं अध्यक्ष को अपने उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकारी होगा। एवं अन्य कार्य हेतु संविधान के नियमों के अनुसार कार्य किया जावेगा।

पाँच). ट्रस्ट को सृजित करने वाली लिखापढ़ी का विवरण :- श्रीराम चरण सेवा ट्रस्ट रायसेन की बैठक दिनांक 01.03.2022 को आहुत की गई जिसमें ट्रस्ट के पंजीयन की कार्यवाही सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया प्रस्ताव की छाया प्रति अवलोकन हेतु संलग्न है।



छ). ट्रस्ट सम्बन्धित योजना सुचारु रूप से संचालन हेतु प्रस्ताव के संबंध में श्री राम जानकी मंदिर मिश्र तालाब रायसेन का संचालन किया जा रहा है जिसकी देखरेख न्यास द्वारा समय समय पर प्रबंध किया जाता रहेगा एवं संविधान के अनुसार व्यवस्था करने का अधिकार ट्रस्ट का होगा।

सात). सम्पत्ति का विवरण जो न्यास के पास है :- स्वयं के स्वत्व स्वामित्व की भूमि पर मंदिर है। जिसके स्वत्व के दस्तावेज सूची अनुसार प्रस्तुत है चल एवं अचल सम्पत्ति की सूची भी प्रस्तुत है।

आठ). न्यास की आय के साधन - श्रीराम चरण सेवा ट्रस्ट रायसेन द्वारा निर्मित मंदिर से दान आदि से प्राप्त आय से व्यवस्था की जाती है।

अनुमानित आय - व्यय।

वार्षिक औसत आय 20,000/-रु।

दान आदि से प्राप्त 10,000/-रु।

वार्षिक औसत व्यय 30,000/-रु।

नौ). अभियुक्तियों यदि कोई हो नवीन संशोधन द्वारा न्याय शुल्क एवं अन्य प्रोसेस वावत शुल्क 100/- रु० रसीद कमांक दिनांक को अदा किया। जो संलग्न है।

दस). ट्रस्ट से संबंधित कोई सूचना व न्यायधारी को निम्न पते पर प्रेषित की जावें :- श्रीराम चरण सेवा ट्रस्ट, मिश्र तालाब रायसेन पोस्ट रायसेन थाना रायसेन, तहसील व जिला रायसेन म.प्र.।

ग्यारह). घोषणा ट्रस्टी सदस्य द्वारा की गई घोषणा पत्र :-

### घोषणा

मैं कन्हैया सूरमा आ० नन्नु लाल आयु वयस्क निवासी वार्ड नं. 06 रायसेन न्यास के पंजीयन वावत घोषणा करता हूँ कि उक्त वर्णित न्यास से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी मेरे व्यक्तिगत ज्ञान एवं शासकीय अभिलेखों तथा मेरे विश्वास से सत्य व सही है। आज दिनांक तक उक्त ट्रस्ट के संबंध में कोई आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है। और न ही कोई आवेदन पत्र निरस्त हुआ है।

न्यासधारी के हस्ता

### प्रार्थना

अतः श्रीमान से निवेदन है कि ट्रस्ट के पंजीयन के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

आवेदक

द्वारा

अभिभाषक

### सत्यापन

मैं कन्हैया सूरमा आ० नन्नु लाल आयु वयस्क निवासी वार्ड नं 06 रायसेन का होकर शपथ पूर्वक सत्यापित करता हूँ कि आवेदन पत्र में वर्णित पद क. 01 लगायत 11 में दी गई जानकारी मेरे व्यक्ति ज्ञान एवं विश्वास से सत्य व सही है सत्यापन मेरे द्वारा आज दिनांक को स्थान रायसेन में किया गया।

न्यासधारी के हस्ता०

नोट :- दस्तावेज सूची पृथक से है।

कार्यालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी  
उपखण्ड—जावरा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

क्र. 2108-रीडर-3-22

जावरा, दिनांक 21 अप्रैल 2022

फार्म - 4  
(नियम 5(1) देखीये)

म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम 1951 की धारा 5(2) के तहत

आवेदक सुशील पिता मोहनलाल सकलेचा, निवासी 10, सदर बाजार, बड़ावदा द्वारा धारा 4(2) म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट 1951 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई दिनांक 19/05/2022 को उपखण्ड कार्यालय जावरा पर दोप. 02:30 बजे की जावेगी।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 19/05/2022 को इस न्यायालय में अपना लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता के द्वारा नियत समय पर उपस्थित हों। निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

// पब्लिक ट्रस्ट का नाम पता तथा सम्पत्ति का विवरण //

- (1) न्यास का पुरा नाम - श्री आदिनाथ जैन श्वेताम्बर मन्दिर ट्रस्ट बड़ावदा
- (2) चल सम्पत्ति का विवरण - भण्डार 3, घंटी 01 (पीतल), आरती 5 (पीतल), चांदी की आंगी का वजन 20.5 किलो ग्राम अनुमानित कीमत 13,00,000/-
- (3) अचल सम्पत्ति का विवरण - भगवान आदेश्वर का पुराना मंदिर जो लगभग 8000 वर्गफीट होकर यह मंदिर काफी पुराना बना हुआ है और जीर्णशीर्ण अवस्था में है इसके अलावा कोई संपत्ति नहीं है।

हस्ता./-  
(हिमांशु प्रजापति)  
रजिस्ट्रार एवं  
अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट बड़वानी,  
जिला बड़वानी

क्र. 2430-रीडर-1-2020

बड़वानी, दिनांक 29 अप्रैल 2022

फार्म नंबर-4

(म.प्र.पब्लिक ट्रस्ट रूल्स 5(1) के अन्तर्गत)

नोटिस

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार आफ पब्लिक ट्रस्ट बड़वानी के समक्ष

आवेदक प्रमोद जोशी पिता श्री राधाकृष्ण जोशी निवासी बड़वानी द्वारा सिद्धेश्वर नर्मदा सेवा संस्थान राजघाट रोड बड़वानी का मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत का पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो तो वह नोटिस के प्रकाशन के 01 माह की अवधि के भीतर 2 प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा जरिये अभिभाषक के न्यायालय समय में प्रस्तुत कर सकते हैं । नियत अवधि के बाद प्रस्तुत किये जाने सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार/सुनवाई नहीं की जावेगी । आज दिनांक 27-05-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया है ।

हस्ता./-

( घनश्याम धनगर )  
अनुविभागीय अधिकारी,  
(राजस्व) एवं रजिस्ट्रार.

G-1070

कार्यालय, परिसमापक, उप-पंजीयक सहकारी संस्था, जिला खरगोन

क्र./सह./परि./2022/क्यु-1

खरगोन, दिनांक 29 अप्रैल 2022

(म.प्र.सहकारी संस्थाएं नियम-1962 की धारा-57 (सी) के अन्तर्गत)

उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला खरगोन द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थाओं को सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत अधो हस्ताक्षर कर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. व दिनांक	विकासखण्ड	परिसमापक का नाम
1	श्री साई पेरामारुट क्रेडिट को.आपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड कसरावद	151 / 04.02.2008 संशोधित पं.क्र. 1852 / 10.03.2014	414 / 09.03.2022	कसरावद	आर.आर.भट्ट सहकारी निरीक्षक खरगोन
2	श्री साई साख सहकारी संस्था मर्या. कसरावद	186 / 08.02.2010 संशोधित पं.क्र. 1887 / 10.03.2014	409 / 09.03.2022	कसरावद	आर.आर.भट्ट सहकारी निरीक्षक खरगोन
3	अंबेडकर खेती उत्पादक सह.संस्था मर्या. करौली	143 / 26.11.2007 संशोधित पं.क्र. 1844 / 10.03.2014	403 / 09.03.2022	कसरावद	आर.आर.भट्ट सहकारी निरीक्षक खरगोन

अतः म.प्र.सहकारी सोसायटी नियम 1962 (सी) के अन्तर्गत (उक्त) सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद द्वारा सूचित करने के लिए संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना पत्र को जारी होने के दिनांक 12.04.2022 से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई लेनदार/देनदार/दो तो लिखित रूप में मेरे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्था जिला खरगोन कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11 से दोपहर 03 बजे तक प्रस्तुत करे, त्रुटी की दशा में साहुकार गण/दावेदार गण/सदस्य गण किसी भी लाभ के बदले से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समझावधि उपरत सूचना के कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी। तद्विना संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधीवत प्रस्तुत किये जाने समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या अस्तित्वा, डेड स्टॉक संस्था का रेकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबुझकर अस्तित्वा या अभिलेख एवं रेकार्ड नहीं सौंपे गये है तो संबंधित के विरुद्ध उक्त की वसुली हेतु विधीवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं अस्तित्वा समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहुकारों/सदस्यों के दावों/आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शायी लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य काल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर संक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

सूचना पत्र आज दिनांक 19.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

हस्ता./-

आर. आर. भट्ट, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

G-1071

### कार्यालय, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन

क्र./परि./क्यू./2022

उज्जैन, दिनांक 21 अप्रैल 2022

(म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत)

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञापित प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन के आदेश के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है :-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र./दिनांक
01	मॉडल टाउन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन	80/20.08.1981	1111/11.05.2018
02	विक्रम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन	05/03.03.1960	1454/31.08.2019
03	किश्चयन साख सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन	1418/07.03.1996	1454/31.08.2019
04	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित सुवास	791/29.07.1986	1454/31.08.2019
05	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित भाटीसुडा	1913/04.12.2014	1454/31.08.2019

अतः मैं बी.जी.व्यास ( व.स.नि ) एवं परिसमापक, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 एवं म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचना पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना देना शेष निकल रहा हो तो वे इस विज्ञापित के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाणपत्र सहित मुझे कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन संक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित/सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तक, रोकड, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 18.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी की गयी।

हस्ता./-

( बी. जी. व्यास )

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

G-1072

### मध्यप्रदेश शासन, डिप्टी रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटीज, झाबुआ

क्र./परिसमापन/2022/241

झाबुआ, दिनांक 29 मार्च 2022

भोलेनाथ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित नरवाली तहसील रामा जिला झाबुआ पंजीयन क्रमांक/1067 दिनांक 25.10.2010 को कार्यालयीन आदेश क्र. /परिसमापन/213 दिनांक 16.03.2014 से म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं अम्बरीष वैद्य, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला झाबुआ, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत एवं म.प्र. शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह -1सी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29.03.2022 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

हस्ता./-  
( अम्बरीष वैद्य )  
उपायुक्त, सहकारिता

G-1073

### मध्यप्रदेश शासन, डिप्टी रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटीज, झाबुआ

क्र./परिसमापन/2022/239

झाबुआ, दिनांक 29 मार्च 2022

शिव शक्ति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित नवापाड़ा तहसील रामा जिला झाबुआ पंजीयन क्रमांक/1068 दिनांक 25.10.2010 को कार्यालयीन आदेश क्र. /परिसमापन/213 दिनांक 16.03.2014 से म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं अम्बरीष वैद्य, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला झाबुआ, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत एवं म.प्र. शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह -1सी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29.03.2022 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

हस्ता./-  
( अम्बरीष वैद्य )  
उपायुक्त, सहकारिता

G-1074

## मध्यप्रदेश शासन, डिप्टी रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटीज, झाबुआ

क्र./परिसमापन/2022/240

झाबुआ, दिनांक 29 मार्च 2022

लीला बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित आम्बा तहसील रामा जिला झाबुआ पंजीयन क्रमांक/1066 दिनांक 18.10.2010 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/213 दिनांक 18.03.2014 से म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं अम्बरीष वैद्य, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला झाबुआ, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत एवं म.प्र. शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह -1सी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29.03.2022 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

हस्ता./-

( अम्बरीष वैद्य )

उपायुक्त, सहकारिता.

G-1075

## कार्यालय परिसमापक, सेन्टपाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

क्र./परि/2022/

इन्दौर, दिनांक 2 मई 022

(म.प्र. सहकारी सस्थायें नियम 1962 के नियम 57(ग) के अंतर्गत)

सेन्टपाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 406 दिनांक 18.04.1985 है, को उपायुक्त,सहकारिता, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक/परि./2019/952 दिनांक 01.05.2019 के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः म.प्र. सहकारी समिति अधिनियम 1960 के नियम 1962 के नियम 57(ग) के अंतर्गत सर्व साधारण एवं उपरोक्त दर्शित संस्था से संबंधित जनों को सूचित करती हूँ कि, संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो, वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अंदर अपने दावें/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जिला - इन्दौर पता - 123, देवी अहिल्या मार्ग, श्रमशिविर, जेलरोड़, इन्दौर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावें/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है, कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखा पुस्तके, चल अचल सम्पत्तियाँ अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकार्ड आदि हो तो वह दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करे। बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकार्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार उक्त संस्था का म.प्र.सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत देनदारी-लेनदारी का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उप आयुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की अनुशंसा की जावेगी। अतः दर्शित सूचना पत्र में दी गई अवधि के पश्चात् कोई भी दावा/देनदारी/लेनदारी मान्य नहीं की जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 2 मई 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई।

हस्ता./-

( श्रीमती ज्योति जोशी )

उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

G-1076

### श्री पी. एन. मिश्रा ( I.F.S. ) वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डल अधिकारी, वन मण्डल ( क्षेत्रीय ), देवास द्वारा प्रसारित आदेश:—

आ. क्रमांक/डी.एम./2022/375

देवास, दिनांक 17 मई 2022

वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास अंतर्गत वन परिक्षेत्र अधिकारी कन्नौद को कार्यालयान चालान क्रमांक 10404 दिनांक 03.11.2007 से पार्श्व में अंकित हेमर आर.डी.एफ. कूप क्र. VII दावतपुरा में फेलिंग कार्य हेतु हैमर प्रदाय किया गया था। जिसे कार्य पूर्ण होने के उपरांत जमा नहीं कराये जाने के फलस्वरूप वन परिक्षेत्र अधिकारी कन्नौद को उक्त हेमर जमा कराये जाने हेतु बार-बार निर्देश दिये जाने के पश्चात् भी हेमर जमा नहीं कराया जा सका। तदुपरांत श्री डी.के. मराठा वनपरिक्षेत्र अधिकारी बोरपानी, हरदा (तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी कन्नौद) को कार्यालयीन पत्र क्रं/2021/7450 दिनांक 03.09.2021 से उक्त हेमर जमा कराने एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबद लेख किया गया जिसके तारतम्य में श्री डी.के. मराठा वनपरिक्षेत्र अधिकारी बोरपानी, हरदा (तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी कन्नौद) द्वारा उनके पत्र 331 दिनांक 25.04.2022 से उक्त हेमर तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक ननासा श्री रामसिया जाटव, वनपाल को उनके प.सं. सर्किल अंतर्गत आर.डी.एफ. कूप में फेलिंग कार्य हेतु प्रदाय किया जाना एवं वर्तमान में किसी कारणवश तत्समय परिक्षेत्र कन्नौद स्तर पर उपरोक्त हेमर उचित रख-रखाव के अभाव में न मिलने पर क्षोभ व्यक्त करते हुये उक्त हेमर की मूल एवं दण्ड राशि जमा करने हेतु आदेशित करने बाबद लेख किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर श्री डी.के. मराठा वनपरिक्षेत्र अधिकारी बोरपानी, हरदा (तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी कन्नौद) से उक्त हेमर की किमत रु 800/- (आठ सौ मात्र) एक मुश्त वसूली जाकर वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त हेमर को अपलेखित किया जाता है, तथा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हेमर मिले तो उक्त हेमर को निकटतम थाने में या किसी वन कार्यालय में जमा करें। इस विज्ञापित के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से उक्त हेमर रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो वह भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दंड का भागी होगा एवं उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

हस्ता./-

( पी. एन. मिश्रा )

वन संरक्षक

एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी.

G-1077

**श्री पी. एन. मिश्रा ( I.F.S. ) वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डल अधिकारी, वन मण्डल  
( क्षेत्रीय ), देवास द्वारा प्रसारित आदेश:—**

आ. क्रमांक/डी.एम./2021/330

देवास, दिनांक 10 मई 2022

वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास अंतर्गत वन परिक्षेत्र अधिकारी कन्नौद को कार्यालयीन चालान क्रमांक 10404 दिनांक 03.11.2007 से पार्श्व में अंकित हेमर आर.डी.एफ. कूप क्र. VIII दावतपुरा में मार्किंग कार्य हेतु हेमर प्रदाय किया गया था। जिसे कार्य पूर्ण होने के उपरांत जमा नहीं कराये जाने के फलस्वरूप वन परिक्षेत्र अधिकारी कन्नौद को उक्त हेमर जमा कराये जाने हेतु बार-बार निर्देश दिये जाने के पश्चात् भी हेमर जमा नहीं कराया जा सका। तदुपरांत श्री डी.के. मराठा वनपरिक्षेत्र अधिकारी बोरपानी, हरदा (तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी कन्नौद) को कार्यालयीन पत्र क्रं/2021/7450 दिनांक 03.09.2021 से उक्त हेमर जमा कराने एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबद लेख किया गया, जिसके तारतम्य में श्री डी.के. मराठा वनपरिक्षेत्र अधिकारी बोरपानी, हरदा (तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी कन्नौद) द्वारा उनके पत्र 325 दिनांक 22.04.2022 से उक्त हेमर तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक ननासा श्री रामसिंघा जाटव, वनपाल को उनके प.स. सर्किल अंतर्गत आर.डी.एफ. कूप क्र. VIII दावतपुरा में मार्किंग कार्य हेतु प्रदाय किया जाना एवं वर्तमान में किसी कारणवश तत्समय परिक्षेत्र कन्नौद स्तर पर उपरोक्त हेमर उचित रख-रखाव के अभाव में न मिलने पर क्षोभ व्यक्त करते हुये उक्त हेमर की मूल एवं दण्ड राशि जमा करने हेतु आदेशित करने बाबद लेख किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर श्री डी.के. मराठा वनपरिक्षेत्र अधिकारी बोरपानी, हरदा (तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी कन्नौद) से उक्त हेमर की किमत रु 800/- (आठ सौ मात्र) एक मुश्त वसूली जाकर वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त हेमर को अपलेखित किया जाता है, तथा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हेमर मिले तो उक्त हेमर को निकटतम थाने में या किसी वन कार्यालय में जमा करें। इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से उक्त हेमर रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो वह भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दंड का भागी होगा, एवं उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

हस्ता./-

( पी. एन. मिश्रा )

वन संरक्षक

एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी.



## कार्यालय, ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

क्र.-ग्वा.वि.प्रा.-प्लानिंग-22-763

ग्वालियर, दिनांक 12 मई 2022

प्रारूप सोलह  
नियम 19(2) देखिये

धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने के आशय की घोषणा की सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन एतद्वारा घोषित किया जाता है कि ग्वालियर विकास प्राधिकरण (नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरण का नाम) नगर विकास स्कीम क्रमांक 002/2020 अर्थात् ललियापुरा अंडर पास से ब्लूटोपस कॉलोनी तक मास्टर प्लान की सड़क के आस-पास योजना ग्राम ललियापुरा महलगांव, अलापुर (क्षेत्र का विवरण जहां स्कीम प्रस्तावित है) बनाने का अशय रखता है स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार है:—

स.क्र.	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक (इसके अंशों को सम्मिलित करते हुए यदि कोई हो)	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1634	0.094
2	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1635/1/ मिन-1	0.366
3	जगदीश, उमाशंकर, रमेश, राधेश्याम, सतीष, महेश, नरेन्द्र, दिलीप, पुत्र रामस्वरूप	सिटीसेन्टर	महलगांव	1635/1/ मिन-2	0.837
4	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1635/2/ मिन-2	1.933
5	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1636/1/ मिन-1	0.105
6	जगदीश, उमाशंकर, रमेश, राधेश्याम, सतीष, महेश, नरेन्द्र, दिलीप, पुत्र रामस्वरूप	सिटीसेन्टर	महलगांव	1636/1/ मिन-2	0.837
7	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1636/2	2.403
8	जगदीश, उमाशंकर, रमेश, राधेश्याम, सतीष, महेश, नरेन्द्र, दिलीप, पुत्र रामस्वरूप	सिटीसेन्टर	महलगांव	1637/1	1.36
9	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1637/2	0.972
10	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1716/ मिन-1	1.169
11	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1716/ मिन-2	1.169
12	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1717/1/ मिन-1	1.829
13	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1717/1/ मिन-2	0.627
14	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1717/1/ मिन-3	0.523
15	जगदीश, उमाशंकर, रमेश, राधेश्याम, सतीष, महेश, नरेन्द्र, दिलीप, पुत्र रामस्वरूप	सिटीसेन्टर	महलगांव	1717/2	0.366
16	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1718/1	2.163
17	जगदीश, उमाशंकर, रमेश, राधेश्याम, सतीष, महेश, नरेन्द्र, दिलीप, पुत्र रामस्वरूप	सिटीसेन्टर	महलगांव	1718/2	0.627
18	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1718/3 1718/4	0.554
19	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1719/1	2.707
20	जगदीश, उमाशंकर, रमेश, राधेश्याम, सतीष, महेश, नरेन्द्र, दिलीप, पुत्र रामस्वरूप	सिटीसेन्टर	महलगांव	1719/2	0.47
21	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1719/3	0.167
22	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1719/4, 1719/5	2.781
23	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1720	0.0961
24	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1721	0.0961
25	जगदीश, उमाशंकर, रमेश, राधेश्याम, सतीष, महेश, नरेन्द्र, दिलीप, पुत्र रामस्वरूप	सिटीसेन्टर	महलगांव	1722/1 1722/3	0.5766
26	जगदीश, उमाशंकर, रमेश, राधेश्याम, सतीष, महेश, नरेन्द्र, दिलीप, पुत्र रामस्वरूप	सिटीसेन्टर	महलगांव	1723/1	2.111
27	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1723/2/ मिन-1	0.084
28	जगदीश, उमाशंकर, रमेश, राधेश्याम, सतीष, महेश, नरेन्द्र, दिलीप, पुत्र रामस्वरूप	सिटीसेन्टर	महलगांव	1723/2/ मिन-2 1723/3, 1723/4, 1723/5, 1723/6	1.275
29	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1724	0.01
30	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1725	0.637
31	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1726/1/ मिन-1	0.319
32	तेजपाल पुत्र गनपतीया	सिटीसेन्टर	महलगांव	1726/1/ मिन-2	0.663
33	छाँटासिंह, बृजशंकर पुत्र मन्नासिंह	सिटीसेन्टर	महलगांव	1726/2	1.484

स.क्र.	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक (इसके अंशों को सम्मिलित करते हूए यदि कोई हो)	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
34	आधुनिक बिल्टकान प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर अशोकसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह	सिटीसेन्टर	महलगांव	1726/3	0.878
35	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1727/ मिन-1	2.902
36	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1727/ मिन-2	
37	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1733	0.1847
38	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1737	2.596
39	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1738/ मिन-1	0.7238
40	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1738/ मिन-2	
41	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1739/ मिन-1	2.862
42	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1739/ मिन-2	0.209
43	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1740/1	2.713
44	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1740/2/ मिन-1	
45	तेजपाल पुत्र गनपातिया	सिटीसेन्टर	महलगांव	1740/2/ मिन-2	0.9947
46	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1741	
47	मु.धन्वान्ते बेबा भागारथ भगवानदास हारीसिंह रतनसिंह उत्तमसिंह दयाराम आनंद श्याम पुत्र भागीरथ	सिटीसेन्टर	महलगांव	1742/1/ मिन-1	0.627
48	छोटिसिंह,बृजेशसिंह पुत्र मन्नासिंह	सिटीसेन्टर	महलगांव	1742/2	0.439
49	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1743/1/ मिन-2	0.554
50	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1743/2	0.575
51	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1743/3	1.076
52	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1744/1/ मिन-1	1.16
53	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1744/1/ मिन-2	0.418
54	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1744/1/ मिन-3	0.982
55		सिटीसेन्टर	महलगांव	1744/2	0.857
56	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1744/3	0.617
57	मनाहर थिरानी पुत्र गिरधरलाल थिरानी	सिटीसेन्टर	महलगांव	1745	1.362
58	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1746/1/ मिन-1	2.754
59	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1746/1/ मिन-2	
60	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1746/1/ मिन-3	
61	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1746/2	0.575
62	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1747/1/ मिन-1	
63	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1747/1/ मिन-2	0.408
64	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1747/1/ मिन-3	0.408
65	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1747/2/ मिन-1	1.103
66	तेजपाल पुत्र गनपातिया	सिटीसेन्टर	महलगांव	1747/2/ मिन-2	0.851
67	आधुनिक बिल्टकान प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर अशोकसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह	सिटीसेन्टर	महलगांव	1748/1/ मिन-1	0.836
68		सिटीसेन्टर	महलगांव	1748/1/ मिन-2	0.888
69		सिटीसेन्टर	महलगांव	1748/2/ मिन-1	1.531
70	तेजपाल पुत्र गनपातिया	सिटीसेन्टर	महलगांव	1748/2/ मिन-2	0.089
71	मु.द्रोबाई बेबा कुनेसह भोकरिसिंह,रामजीत,रघुबीर, पिता कुन्दसिंह	सिटीसेन्टर	महलगांव	1749/1	2.094
72	तेजपाल पुत्र गनपातिया	सिटीसेन्टर	महलगांव	1749/2	
73		सिटीसेन्टर	महलगांव	1749/3	
74	तेजपाल पुत्र गनपातिया	सिटीसेन्टर	महलगांव	1750	0.0986
75	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1752/1/ मिन-1	0.775
76	तेजपाल पुत्र गनपातिया	सिटीसेन्टर	महलगांव	1752/1/ मिन-2	0.134
77	मनाहर थिरानी पुत्र गिरधरलाल थिरानी	सिटीसेन्टर	महलगांव	1752/2	0.737
78	तेजपाल पुत्र गनपातिया	सिटीसेन्टर	महलगांव	1752/3	
79	मनाहर थिरानी पुत्र गिरधरलाल थिरानी	सिटीसेन्टर	महलगांव	1753/ मिन-1	3.617
80	मनाहर थिरानी पुत्र गिरधरलाल थिरानी	सिटीसेन्टर	महलगांव	1753/ मिन-2	0.063
81	मनाहर थिरानी पुत्र गिरधरलाल थिरानी	सिटीसेन्टर	महलगांव	1753/ मिन-3	0.021
82	मनाहर थिरानी पुत्र गिरधरलाल थिरानी	सिटीसेन्टर	महलगांव	1753/ मिन-4	0.021
83	मनाहर थिरानी पुत्र गिरधरलाल थिरानी	सिटीसेन्टर	महलगांव	1753/ मिन-5	0.031
84	मनाहर थिरानी पुत्र गिरधरलाल थिरानी	सिटीसेन्टर	महलगांव	1753/ मिन-6	0.01
85	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	महलगांव	1754	0.188
86	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	लालियापुरा	2	0.23

स.क्र.	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक (इसके अंशों को सम्मिलित करते हुए यदि कोई हो)	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
87	समता लोक संधान कार्यालय आई टी एम कंपस सिधौली रमासंकर सिंह पुत्र लालसिंह	सिटीसेन्टर	ललियापुरा	3\1	0.533
88	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	ललियापुरा	3/मिन-2	0.073
89	समता लोक संधान कार्यालय आई टी एम कंपस सिधौली रमासंकर सिंह पुत्र लालसिंह	सिटीसेन्टर	ललियापुरा	4\1	0.658
90	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	ललियापुरा	4/मिन-2	0.314
91	शिवगंगा रिस्टोर्ट्स प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर अमरसिंह पुत्र रामावतारसिंह	सिटीसेन्टर	ललियापुरा	73/1	0.23
92	शिवगंगा रिस्टोर्ट्स प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर अमरसिंह पुत्र रामावतारसिंह	सिटीसेन्टर	ललियापुरा	73/2	0.397
93	शिवानी इन्टरप्राइसेस द्वारा पार्टनर संगीता गुप्ता पत्नी राजकुमार गुप्ता	सिटीसेन्टर	ललियापुरा	74/1	0.92
94	(शासकीय)	सिटीसेन्टर	ललियापुरा	74/मिन-2	0.596
95	घनश्याम पुत्र राजवहादुर	ग्वालियर	कोटाविरान	1\1	2.321
96	घनश्याम पुत्र राजवहादुर	ग्वालियर	कोटाविरान	1\2	0.125
97	घनश्याम पुत्र राजवहादुर	ग्वालियर	कोटाविरान	1\3	0.1888
98	घनश्याम पुत्र राजवहादुर	ग्वालियर	कोटाविरान	1\4	0.417
99	राघवबिह्लस प्रा. लि. द्वारा डायरेक्टर अलोक रघुवर्मा पुत्र रणधीरसिंह	ग्वालियर	कोटाविरान	9	0.134
100	राघवबिह्लस प्रा. लि. द्वारा डायरेक्टर अलोक रघुवर्मा पुत्र रणधीरसिंह	ग्वालियर	कोटाविरान	10	0.0282
101	राघवबिह्लस प्रा. लि. द्वारा डायरेक्टर अलोक रघुवर्मा पुत्र रणधीरसिंह	ग्वालियर	कोटाविरान	11	0.6042
102	राघवबिह्लस प्रा. लि. द्वारा डायरेक्टर अलोक रघुवर्मा पुत्र रणधीरसिंह	ग्वालियर	कोटाविरान	12\1	0.314
103	(शासकीय)	ग्वालियर	कोटाविरान	12\2	0.627
104	(शासकीय)	ग्वालियर	कोटाविरान	13	0.0439
105	जोरिय राजेन्द्र उपाध्याय पुत्र आत्माराम उपाध्याय	सिटीसेन्टर	अलापुर	22/1	0.114
106	अभिषेक सिंह भदौरिया पुत्र कौशलेंद्र सिंह भदौरिय	सिटीसेन्टर	अलापुर	22/2	
107	राजेन्द्र पुत्र आत्माराम उपाध्याय	सिटीसेन्टर	अलापुर	22/3/मिन-1	
108	राजेन्द्र आत्माराम उपाध्याय	सिटीसेन्टर	अलापुर	22/3/मिन-2	
109	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	22/4	0.276
110		सिटीसेन्टर	अलापुर	22/5	
111		सिटीसेन्टर	अलापुर	23/1	
112	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	23/2	
113	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	23/3	
114		सिटीसेन्टर	अलापुर	23/4	
115		सिटीसेन्टर	अलापुर	23/5	
116		सिटीसेन्टर	अलापुर	23/6	
117		सिटीसेन्टर	अलापुर	23/7	
118	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	74	2.477
119		सिटीसेन्टर	अलापुर	78/1	0.157
120	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	78/2	
121	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	78/3	
122		सिटीसेन्टर	अलापुर	78/4	
123	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	79	0.105
124	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	80	0.29
125	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	81	0.12
126	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	283	0.1598
127	मंथाराम पुत्र गम्भोरसिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	284	0.49
128	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	285	0.334
129	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	286/1/मिन-1	0.209

स.क्र.	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक (इसके अंशों को सम्मिलित करते हूए यदि कोई हो)	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
130	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	286/1/मिन-2	0.355
131	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	286/2	0.784
132	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	286/3	0.146
133	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	287	0.428
134	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	288/1	0.144
135	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	288/2	0.546
136	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	289/1	0.596
137	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	289/2	0.314
138	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	290/1	0.01
139	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	290/2	0.021
140	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	290/3	0.084
141	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	290/4	0.721
142	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	291/1	0.031
143	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	291/2	0.428
144	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	292	0.065
145	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	293	0.37
146	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	294	1.63
147	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	295	1.482
148	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	296	0.0435
149	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	297	1.053
150	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	298	2.257
151	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	299	2.665
152	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	300	2.006
153	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	301/1	2.09
154	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	301/2/1	0.861
155	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	301/2/2	1.719
156	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	302/1मिन-1	0.585
157	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	302/1मिन-2	0.836
158	गन्धर्वीसिंह व भुरा, कल्लो, बल्लू पुत्र कनेहसिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	302/2	0.502
159	छिद्दी पुत्र देना	सिटीसेन्टर	अलापुर	302/2मिन-1	0.502
160	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	302/3मिन-2	0.01
161	गन्धर्वीसिंह व भुरा, कल्लो, बल्लू पुत्र कनेहसिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	303/1	0.397
162	सहोदराबाई पत्नी किशन लाल	सिटीसेन्टर	अलापुर	303/2	0.397
163		सिटीसेन्टर	अलापुर	303/3	0.261
164	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	303/4	0.021
165	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	303/5	1.662
166	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	303/6	0.01
167	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	303/7	0.47
168	भुराजश्र	सिटीसेन्टर	अलापुर	304/1	1.222
169	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	304/2	0.072
170	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	304/3	1.306
171	चैतराम पुत्र भोलाराम	सिटीसेन्टर	अलापुर	304/4	0.157
172	चैतराम पुत्र भोलाराम	सिटीसेन्टर	अलापुर	304/5	0.146
173	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	305/1	0.021
174	रामजीलाल, आमप्रकाश, लालासिंह, लाखनसिंह, हाकिम सिंह पुत्र रामचरन सिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	305/2	0.063
175	रामदयाल पुत्र हरेशराम	सिटीसेन्टर	अलापुर	305/3	0.084
176	सहोदराबाई पत्नी किशन लाल	सिटीसेन्टर	अलापुर	305/4	0.073
177	रामजीलाल, आमप्रकाश, लालासिंह, लाखनसिंह, हाकिम सिंह पुत्र रामचरन सिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	305/5	1.233
178	भुराजश्र	सिटीसेन्टर	अलापुर	305/6	0.105
179	रामजीलाल, आमप्रकाश, लालासिंह, लाखनसिंह, हाकिम सिंह पुत्र रामचरन सिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	305/7	0.324
180	रामजीलाल, आमप्रकाश, लालासिंह, लाखनसिंह, हाकिम सिंह पुत्र रामचरन सिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	305/8/2	0.105
181	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	305/9	0.836
182	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	306/1	0.052

स.क्र.	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक (इसके अंशों को सम्मिलित करते हूए यदि कोई हो)	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
183	रामजीलाल, आमप्रकाश, लालासिंह, लाखनासिंह, हाकिम सिंह, पुत्रगढ़ रामचरण सिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	306/2	0.617
184	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	306/3	0.063
185	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	306/4	1.254
186	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	306/5	0.606
187	भग्ना बेवा बाबुसिंह, सूरतसिंह, रघुनाथसिंह, पुत्रगढ़ बाबूसिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	306/6	1.087
188	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	306/7	0.303
189	रामजीलाल, आमप्रकाश, लालासिंह, लाखनासिंह, हाकिम सिंह, पुत्रगढ़ रामचरण सिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	306/8	0.021
190	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	307/1	1.777
191	रामजीलाल, आमप्रकाश, लालासिंह, लाखनासिंह, हाकिम सिंह, पुत्रगढ़ रामचरण सिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	307/2	0.617
192	कदमासिंह, भगवानसिंह, दाताराम पिता आछा	सिटीसेन्टर	अलापुर	307/3	1.014
193	मुकमलाबाई बेवा ग्याराम	सिटीसेन्टर	अलापुर	307/4	0.815
194	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	308/1	0.679
195	मुकमलाबाई बेवा ग्याराम	सिटीसेन्टर	अलापुर	308/2	0.24
196	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	308/3	0.052
197		सिटीसेन्टर	अलापुर	308/4	0.386
198	सहोदराबाई पत्नी किशन लाल	सिटीसेन्टर	अलापुर	308/5	0.627
199	गन्धर्वसिंह व भुरा, कल्लो, बल्लू पुत्र कनहोसिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	308/6	0.063
200	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	308/7	0.031
201		सिटीसेन्टर	अलापुर	308/8	
202		सिटीसेन्टर	अलापुर	308/99	0.115
203	कंदारसिंह पुत्र रामभरोस	सिटीसेन्टर	अलापुर	309/1	1.703
204		सिटीसेन्टर	अलापुर	309/2	0.052
205	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	309/3	0.021
206	छिदी पुत्र दोना	सिटीसेन्टर	अलापुर	309/4	0.209
207	गन्धर्वसिंह व भुरा, कल्लो, बल्लू पुत्र कनहोसिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	309/5	0.052
208	आधुनिक बिल्डकाम प्राय. लिमि. द्वार डायरेक्टर अशोकसिंह पुत्र राजेंद्रसिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	310/1	0.878
209	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	310/2	1.568
210	मंगलिया, घमन्डी पिता शंकरलाल	सिटीसेन्टर	अलापुर	311/1	0.585
211	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	311/2	0.867
212	कंदारसिंह पुत्र रामभरोस	सिटीसेन्टर	अलापुर	311/3	0.397
213		सिटीसेन्टर	अलापुर	311/4	
214	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	311/5	0.355
215	सेताराम पुत्र मंगलसिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	311/6	0.992
216		सिटीसेन्टर	अलापुर	312/1	
217	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	312/2	1.75
218		सिटीसेन्टर	अलापुर	312/3	
219	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	313/1	0.01
220	सेताराम पुत्र मंगलसिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	313/2	0.584
221	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	313/3	0.209
222	सेताराम पुत्र मंगलसिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	314/1	0.052
223	विट्टोबाई पत्नी सुधर सिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	314/2	0.293
224	कोका चौखलाल चरना देवीलाल पुत्रपुगण धनीराम	सिटीसेन्टर	अलापुर	314/3/मिन-1	1.463
225	रोशनलाल पिता छिद	सिटीसेन्टर	अलापुर	314/3/मिन-2	1.379
226		सिटीसेन्टर	अलापुर	315/1	
227		सिटीसेन्टर	अलापुर	315/2	0.217
228	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	315/3	
229	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	316/1	1.108
230	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	316/2	0.554
231	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	317/1	1.421
232	विट्टोबाई पत्नी सुधर सिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	317/2	0.01
233	विट्टोबाई पत्नी सुधर सिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	317/3	0.011
234	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	318/1	2.215

स.क्र.	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक (इसके अंशों को सम्मिलित करते हुए यदि कोई हो)	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
235	विट्टाबाई पत्नी सुघर सिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	318/2	0.042
236	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	319	2.445
237	राजेंद्र सिंह पुत्र सुघर सिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	320/1	0.909
238	मानासिंह पुत्र भरोस	सिटीसेन्टर	अलापुर	320/2	0.24
239	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	320/3	1.975
240	राजेंद्र सिंह पुत्र सुघर सिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	331/1	0.094
241	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	331/2	0.076
242	आधुनिक बिल्डकाम प्राय.लिमि.द्वार डायरेक्टर अशोकसिंह पुत्र राजेंद्रसिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	332/1	1.505
243		सिटीसेन्टर	अलापुर	332/2	
244		सिटीसेन्टर	अलापुर	332/3	
245		सिटीसेन्टर	अलापुर	332/4	
246	इन्दरसिंह पुत्र रघुवरसिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	333/1	0.261
247	विजय कुमार गंगे पुत्र श्री कृष्ण गंगे	सिटीसेन्टर	अलापुर	333/2	0.366
248	रामबाई उर्फ गुड्डाबाई पुत्री रघुवरसिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	333/3/1	0.22
249	सिंचाई विभाग मध्यप्रदेश शासन	सिटीसेन्टर	अलापुर	333/3/2	0.355
250	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	333/4	0.836
251	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	333/5	0.031
252	आधुनिक बिल्डकाम प्राय.लिमि.द्वार डायरेक्टर अशोकसिंह पुत्र राजेंद्रसिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	333/6	0.052
253		सिटीसेन्टर	अलापुर	333/7	0.063
254	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	334/1	0.826
255	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	334/2	0.031
256	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	334/3	0.063
257	आधुनिक बिल्डकाम प्राय.लिमि.द्वार डायरेक्टर अशोकसिंह पुत्र राजेंद्रसिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	334/4	0.512
258	आधुनिक बिल्डकाम प्राय.लिमि.द्वार डायरेक्टर अशोकसिंह पुत्र राजेंद्रसिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	334/5	1.515
259	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	334/6	0.449
260	शान्ताबाई बेवा सुदरसिंह, नरेश, कमलेश, पुत्र सुदरसिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	334/7	0.543
261	इन्दरसिंह पुत्र रघुवरसिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	334/8	0.094
262	आधुनिक बिल्डकाम प्राय.लिमि.द्वार डायरेक्टर अशोकसिंह पुत्र राजेंद्रसिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	335/1	0.052
263	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	335/2	1.557
264	आधुनिक बिल्डकाम प्राय.लिमि.द्वार डायरेक्टर अशोकसिंह पुत्र राजेंद्रसिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	335/3	0.761
265	कमलसिंह, भागीराम पिता भादू	सिटीसेन्टर	अलापुर	335/4/मिन-1	0.439
266	आधुनिक बिल्डकाम प्राय.लिमि.द्वार डायरेक्टर अशोकसिंह पुत्र राजेंद्रसिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	335/4/मिन-2	0.439
267	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	335/5	0.794
268	आधुनिक बिल्डकाम प्राय.लिमि.द्वार डायरेक्टर अशोकसिंह पुत्र राजेंद्रसिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	335/6	0.209
269	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	336/1	0.157
270	आधुनिक बिल्डकाम प्राय.लिमि.द्वार डायरेक्टर अशोकसिंह पुत्र राजेंद्रसिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	336/2	0.084
271	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	336/3	0.23
272	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	337/1	1.348
273	रामजीलाल, आमप्रकाश, लालसिंह, लाखनासिंह, हाकिम सिंह, पुत्रगढ़ रामचरण सिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	337/2	0.074
274		सिटीसेन्टर	अलापुर	338/1	
275	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	338/2	0.01
276		सिटीसेन्टर	अलापुर	338/3	
277	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	338/4	0.01
278		सिटीसेन्टर	अलापुर	338/5	
279	शासकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	338/6	0.042
280	आधुनिक बिल्डकाम प्राय.लिमि.द्वार डायरेक्टर अशोकसिंह पुत्र राजेंद्रसिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	338/7	0.042

स.क्र.	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक (इसके अंशों को सम्मिलित करते हूए यदि कोई हो)	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
281	शाशकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	338/8	0.105
282	रामजीलाल, आमप्रकाश, लालासिंह, लाखनासिंह, हाकिम सिंह, पुत्रगढ़ रामचरण सिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	338/9	0.01
283	शाशकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	338/10	0.021
284	शाशकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	339	1.09
285	शाशकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	340/1	0.345
286	शाशकीय	सिटीसेन्टर	अलापुर	340/2	0.293
287	रामजीलाल, आमप्रकाश, लालासिंह, लाखनासिंह, हाकिम सिंह, पुत्रगढ़ रामचरण सिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	340/3	0.261
288	रामजीलाल, आमप्रकाश, लालासिंह, लाखनासिंह, हाकिम सिंह, पुत्रगढ़ रामचरण सिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	340/4	0.01
289	रामजीलाल, आमप्रकाश, लालासिंह, लाखनासिंह, हाकिम सिंह, पुत्रगढ़ रामचरण सिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	340/5	0.272
290	भग्ना बेवा बाबुसिंह, सूरतसिंह, रघुनाथसिंह, पुत्रगढ़ बाबूसिंह	सिटीसेन्टर	अलापुर	340/6	0.052
291		सिटीसेन्टर	अलापुर	25	0.1555
				TOTAL	167.5834

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, स्क्रीन में सम्मिलित किये गए क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार की भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किये बिना, नहीं करेगा

हस्ता./-  
( के. के. सिंह गौर )  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

G-1079

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जून 2022—ज्येष्ठ 13, शक 1944

भाग 3 ( 2 )

सांख्यिकीय सूचनाएं

( कुछ नहीं )